खण्ड-318, अंक-7
मंगलवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1897
(5 अगस्त, 1975 ई0)

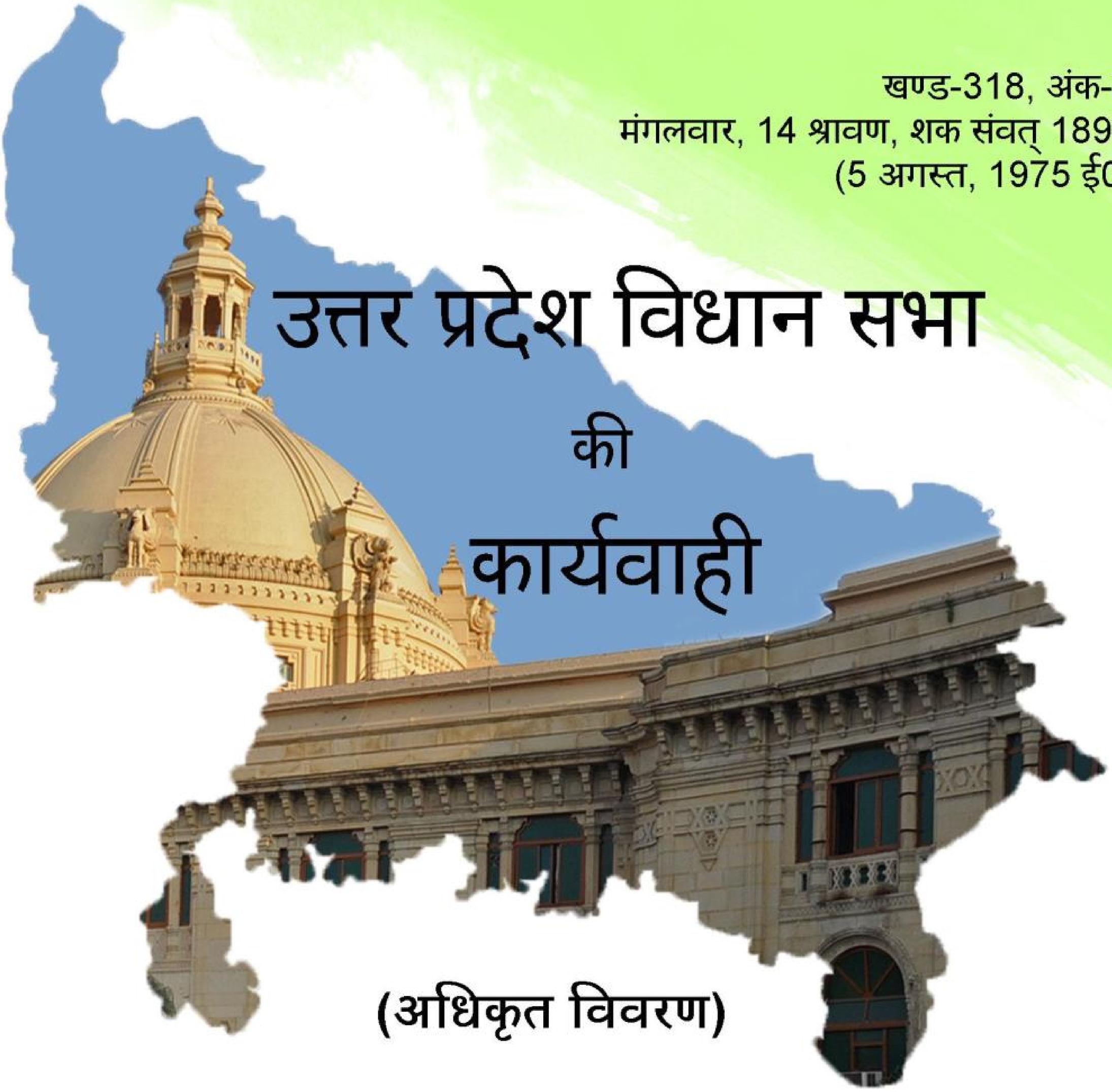

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | ५४९–५५२ |
| उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. .. .. | ५५२ |
| उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कर तथा भूमि के किराये के बकाये की वसूली) नियमावली, १९७५ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. | ५५२ |
| उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, १९७५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. | ५५३ |
| लोक लेखा समिति का नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से सम्बन्धित (१९७४-७५) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. | ५५३ |
| कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | ५५३–५५४ |
| कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. | ५५४ |
| कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. | ५५४ |
| उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया) .. .. | ५५५ |
| रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया) .. .. .. | ५५५ |
| सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत) | ५५५–५५७ |
| उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | ५५७–५५८ |
| उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५ (पारित) .. | ५५८–५८८ |
| उत्तर प्रदेश कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ (पारित) .. .. .. | ५८८–६०० |
| १९६८-६९ की बढ़ती व्यय की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—निर्वाचन (स्वीकृत) .. .. | ६०१ |
| अनुदान संख्या ११—आयुक्त एवं जिला प्रसाशन (स्वीकृत) .. | ६०१ |
| अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) .. .. | ६०१ |
| अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) .. | ६०१ |
| अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत) .. .. .. | ६०२ |
| अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) .. | ६०२ |
| अनुदान संख्या ४५—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) .. | ६०२ |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| अनुदान संख्या ४७—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) .. .. | ६०२–६०३ |
| अनुदान संख्या ४८—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) .. | ६०३ |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ (पारित) .. .. .. | ६०३–६१२ |
| १९६९-७० की बढ़ती व्यय की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत) .. | ६१२ |
| अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) .. | ६१२ |
| अनुदान संख्या ४८—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) | ६१२–६१३ |
| अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत).. | ६१३ |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ (पारित) .. .. .. | ६१३–६१५ |
| भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया) .. .. .. | ६१६ |
| उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ (पुरः स्थापित किया गया) .. .. | ६१६ |
| नत्थियां .. .. .. | ६१७–६४३ |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ५ अगस्त, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष; श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३०८

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री,
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)

जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री

मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुमताज मुहम्मद, खां
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
राम रती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विद्याधर, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

## उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-८ की अधिसूचना ४६/६/७०—राजस्व-८, दिनांक ६/७ जनवरी, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कर तथा भूमि के किराये के बकाये की वसूली) नियमावली, १९७५†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या ३६४८-बी/३३—१९९—६८, दिनांक १४ फरवरी, १९७५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कर तथा भूमि के किराये के बकाये की वसूली) नियमावली, १९७५ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

## उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, १९७५, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २८ जुलाई, १९७५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ४ अगस्त, १९७५ को वापस प्राप्त हो गया है।

## लोक लेखा समिति का नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से सम्बन्धित (१९७४-७५ का) चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से लोक लेखा समिति का नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से सम्बन्धित (१९७४-७५) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नवीन सेवाओं पर अनधिकृत व्यय कृषि, राज्य सम्पत्ति, सार्वजनिक निर्माण तथा गृह (कारागार) विभागों से सम्बन्धित है।

इन मदों पर लोक लेखा समिति (१९७४-७५) ने अपनी बैठक दिनांक ९ अक्तूबर, १९७४; १५ अक्तूबर, १९७४ तथा १० मार्च, १९७५ में विचार किया तथा कुछ मदों पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के सचिवों का साक्ष्य भी लिया।

लोक लेखा समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में बराबर यह बल दिया जाता रहा है कि इस प्रकार के अनधिकृत व्ययों के सम्बन्ध में सतर्कता बरती जाय और प्रशासकीय विभाग प्रयत्न यह करे कि इस तरह के अनधिकृत व्यय भविष्य में न हों। किन्तु समिति के देखने में यह आया कि प्रशासकीय विभाग इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं और फलस्वरूप इस प्रकार के अनधिकृत व्ययों की पुनरावृत्ति होती जा रही है, जो अत्यन्त असन्तोषजनक है। समिति शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती है कि भविष्य में समिति की सिफारिशों का कठोरता तथा दृढ़ता के साथ पालन किया जाय।

## कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी आज की बैठक में यह संस्तुति की है कि सदन की आज की कार्य-सूची में उल्लिखित समस्त कार्य आज ही पूरा किया जाय और सदन की ६ अगस्त, १९७५ की बैठक में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण किया जाय :—

"(१) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५;

(२) रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५;

(३) उत्तर प्रदेश कमजोर वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५;

(४) इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५।"

---

†छापा नहीं गया।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष ने दी है, से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष ने दी है, से सहमति प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव**

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने २९ जुलाई, १९७५ के अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ५ दिन के भीतर प्रस्तुत करे ;

और प्रवर समिति का प्रतिवेदन ५ दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका ;

अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५८ के उप नियम (१) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार यह सदन एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन देने का समय ५ अगस्त, १९७५ तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने २९ जुलाई, १९७५ के अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ५ दिन के भीतर प्रस्तुत करे ;

और प्रवर समिति का प्रतिवेदन ५ दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका ;

अत : उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५८ के उप नियम (१) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार, यह सदन एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन देने का समय ५ अगस्त, १९७५ तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन**

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मैं कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५**

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु यह सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१७-६२० पर)

**रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५**

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु यह सदन अनुज्ञा दे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु यह सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२१-६२३ पर)

**सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव**

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जब यह विधेयक यहां से पारित होकर विधान परिषद् गया तो उसमें कुछ संशोधन स्वीकार हुये। आर्टिकल आफ एसोशियेशन और मेमोरेन्डम आफ एसोशियेशन जब प्रकाशित होते हैं तो उसमें केवल नाम में परिवर्तन का नियम रखा गया था जिससे कुछ कठिनाइयां अनुभव की गईं। इस संशोधन के अनुसार "नाम म परिवर्तन" के स्थान पर "नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन" रख दिया गया है। यह साधारण सा संशोधन विधेयक ह, मुझे आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ मे विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खन्ड ४ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४ में नई धारा ४ में नई जोड़ी जाने वाली उपधारा (२) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जाय --

"(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सूची के साथ रजिस्ट्रार को संगम के ज्ञापन (जिसके अन्तर्गत धारा २ के अधीन किया गया कोई परिवर्तन या विस्तार या न्यूनन भी सम्मिलित है) और सोसाइटी के नियमों की एक प्रति जो अद्यतन शुद्धकृत हो और उक्त शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा शुद्ध प्रति प्रमाणित हो, और पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे के संतुलन-पत्र की एक प्रति भी भेजी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड ६ द्वारा नई बढ़ाई जाने वाली धारा १२-ख में --

(१) पार्श्व शीर्षक में शब्द "नाम में परिवर्तन" के स्थान पर शब्द "नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन" रख दिया जाय।

(२) उपधारा (१) में, आरम्भ में शब्द "धारा १२ के अधीन उद्देश्यों में या धारा १२-क के अधीन" जोड़ दिये जायं।

(३) उपधारा (२) में पंक्ति १ व २ के शब्द "नाम के सम्बन्ध में और नाम में" के स्थान पर शब्द "उद्देश्य या नाम के सम्बन्ध में और यथास्थिति उद्देश्य का नाम में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड ६ द्वारा बढ़ाई जाने वाली नई धारा १२-ग में --

(१) पार्श्व शीर्षक में शब्द "नाम में परिवर्तन" के स्थान पर शब्द "नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन" रख दिये जायं।

(२) पंक्ति १ में शब्द "सोसाइटी के नाम में" के स्थान पर शब्द "सोसाइटी के उद्देश्यों या नाम में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान सभा द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सह सदन विधान सभा द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५ में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव**

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५ में, विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई खास बात नहीं है। कहीं-कहीं पर ऐसा न करने से उलझनें पैदा हुईं। एक ही डेफिनीशन अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कन्टेक्सट में इस्तेमाल होने की बात होती थी जिससे एक भ्रम पैदा हो जाय। इस चीज को लेकर जनरल क्लाजेज ऐक्ट को कुछ हद तक एमेंड करने की आवश्यकता महसूस हुई। ला कमीशन ने भी कुछ परिवर्तन रिकमेंड किये थे और फिर पांचवीं विधान सभा में एक कमेटी बनी थी, उसने भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि जहां-जहां इस किस्म के भ्रम उत्पन्न हों उसे डेफिनीशन के साथ ठीक किया जाय। सेंट्रल ऐक्ट में जनरल क्लाजेज ऐक्ट को एमेंड किया लेकिन उत्तर प्रदेश में यह चीज नहीं हो सकी, इसीलिये इसको करना पड़ा है जो कि जनहित में है। यह विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५ में विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (९) द्वारा प्रस्तावित खण्ड २६ की छठीं पंक्ति में शब्द "या" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८ में विधान परिषद द्वारा किया गया संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १८ द्वारा प्रस्तावित धारा २३-क की उपधारा (२) की पहली पंक्ति में शब्द "उसे" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २० में विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २० द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २९ के प्रस्तावित संशोधन में दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "या बनाये गये प्रत्येक प्रपत्र" निकाल दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५†**

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक ऐसा विधेयक है जिसकी बहुत दिनों से यह मांग थी कि चिट फण्ड को रेगुलेट किया जाय और चिट फन्ड में इनवेस्टमेंट करने वालों का जो पैसा है उसका दुरुपयोग न हो। अन्य कई राज्यों में भी इसी प्रकार के चिट फन्ड विधेयक पास करके उनको नियन्त्रित किया गया है और उसके लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत चिट फन्ड रखा जायेगा और उसमें रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार आदि की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। ताकि कोई भी चिट फन्ड बिना रजिस्टर किये न बनाया जा सके।

इसके द्वारा उसके लिये नियम और उप नियम बनाये जायेंगे जिसके अन्तर्गत ही वह व्यवसाय चला सकेंगे। इसमें यह भी व्यवस्था की जा रही है कि जो इसे फर्म करेगा उसका कितना कमीशन होगा और जो एजेंट हैं उनमें किस तरह से कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके परसेंटेज की नियमावली निश्चित की जा रही है। यह एक निर्दोष और आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। मुझे आशा है कि इसे सभी स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इस पर श्री भीखा लाल, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री ऊदल के संशोधन आये हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चिट फन्ड विधेयक, १९७५ को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

---

†४ अगस्त, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि यह विधेयक बहुत अच्छा है, वैसे मैं भी कहता हूं कि यह बहुत अच्छा है। इतना अवश्य है कि बहुत दिन बाद सरकार की कुछ अक्ल ठीक हुई। मन्त्री जी ने अन्य प्रदेशों का हवाला दिया कि वहां बहुत पहले ही हो गया था। मद्रास में पहले पास किया था और गुजरात ने भी अपने यहां पास किया था। इसके अलावा भी अन्य प्रदेशों में पास किया गया या नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मान्यवर, आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश में दो तरह से आम जनता को चीट किया जाता है। एक तो चिट फण्ड खोलकर, जिसमें लाखों-लाखों रुपया बोगस कम्पनियों ने ६ महीने, ८ महीने और १० महीने में इकट्ठा किया। और सरकार की जब तक निगाह उन पर पहुंचे तब तक वे कम्पनियां गोल हो गईं। इसी लखनऊ में दसों ऐसी कम्पनियां-चिट फण्ड की सरकार के नाक के नीचे खुली हुई हैं और सबों ने लाखों रुपया बना लिया। इलाहाबाद में एक चिट-फण्ड कम्पनी खुली हुई है, जिसने लाखों रुपया इकट्ठा किया, किन्तु उसका बाल बांका नहीं हुआ। दूसरे, इसके अलावा बेरोजगारी के नाम पर इस प्रदेश के पढ़े-लिखे नौजवानों का किस तरह से शोषण, किस तरह से उनके साथ चीटिंग की गई, सरकार की निगाह उस पर भी कभी नहीं गई। मैं आपके सामने आगरा का एक हवाला देना चाहता हूं।

मान्यवर, यह देखकर बहुत दुख होता है कि सरकार के अधिकारी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तमाम विज्ञापनों को अखबारों में देखते हुये भी कोई कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ नहीं करते हैं। हमारे प्रदेश के पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार के नाम पर ठगा जाये, म समझता हूं, यह सरकार के लिये सबसे ज्यादा कलंक की बात है। इनके द्वारा जनता को कैसे चीट किया जाता है, इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सन् १९७२-७३ में आगरा से जो विज्ञापन दिया गया उसमें फील्ड आफिसर के लिये निर्धारित क्वालीफिकेशन ग्रेजुएट थी, बी० ए० वालों को टाइपिस्ट और क्लर्क के नाम पर ७००-१००० रुपया तनख्वाह देने की बात कही गई थी, और जो इन्टरमीडिएट थे, उनको ५०० रुपये देने की बात कही गई थी। क्या कार्यवाही आपने इन लोगों के खिलाफ की। फील्ड आफिसर के नाम पर हर जिले के हजारों लोग ठगे गये। इतना ही नहीं उसमें लोगों को जमानत भी देनी पड़ी। बड़ी मेहनत के बाद दूसरे मामलों में कुछ लोग बनारस में पकड़े गये। इसमें बिहार के लोगों से हजारों रुपया जमा कराया गया था। लखनऊ की तमाम ऐसी कम्पनियों के नाम, जो आपकी नाक के नीचे हैं, मैं दे सकता हूं। जब इनके विज्ञापन अखबारों में निकलते हैं यह जानकर आश्चर्य होता है, तो पुलिस अधीक्षक या कलेक्टर आदि कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, इनकी जांच हुई है या नहीं, सी० आई० डी० की जांच हुई है या नहीं। कुछ नहीं हुआ।

इस तरह का आगरा वाला मामला पार्लियामेंट में भी आया था। श्री प्रियरंजनदास मुंशी ने यह सवाल पिछले साल उठाया था। उत्तर प्रदेश सरकार, जिसकी सीमा के अन्दर इस तरह की बातें होती हैं, वह और उसके इतने बड़े बड़े अफसर इस पर खामोश रहें यह बड़े लज्जा की बात है। इस तरह के केसेज भी चीट करने वालों के सम्बन्ध में चले और हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विधान मन्डल इसमें कानून बना सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक, जब कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया आपके विधि विभाग की आंख क्यों नहीं गयी? आज तक विधि विभाग क्या करता रहा? क्यों टालमटोल करता है? मैं समझता हूं कि अभी एक हिस्सा बाकी है? इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले के ऊपर गम्भीरता से सोचे। मैं इसमें वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार को क्या अधिकार दिया है कार्यवाही करने का? कौनसी उसके पास फोर्स होगी जो उनको पकड़ेगा, चालान करेगा? इस विधेयक में बहुत सी खामियां हैं।

माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि बड़ा सीधा-साधा, बड़ा अच्छा है। लेकिन इसमें खामियां बहुत हैं। मैं चीट करने वाली फर्मों का नाम, चीट करने वालों का नाम, जिन्होंने

[श्री ऊदल]

इस प्रदेश के लाखों लोगों को ठगा है, उनका नाम वित्त मन्त्री की सेवा में भेज दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको भी लिख कर उनकी सेवा में भेज दूंगा। इसीलिये मैंने प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक बहुत अच्छा सामयिक तो नहीं है क्योंकि समय बहुत बीत चुका। लेकिन देर से दुरुस्त सही। अब आ गये ऐसे स्थान पर जिस स्थान पर मद्रास और गुजरात वर्षों पहले आ चुके हैं। लेकिन इसमें खामियां बहुत हैं। इसलिये मैंने प्रस्ताव किया है कि प्रवर समिति को भेजा जाय। मुझे उम्मीद है कि यह सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इस विधेयक को और मजबूत करने के लिये प्रवर समिति में भेजा जाय जहां पर इसकी एक-एक चीज पर विचार होगा और इस विधेयक को और मजबूत बनाया जायगा ताकि चीट करने वाले जनता को न फंसा सकें। ऐसी कम्पनियों को रिजर्व बैंक के कन्ट्रोल में होना चाहिये, इसका भी जिक्र नहीं किया गया। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने के लिये मैंने प्रस्ताव किया है। मुझे आशा है कि यह सदन हमारे संशोधन को स्वीकार करेगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया ताकि मैं उत्तर प्रदेश चिट फंड विधेयक, १९७५ जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में कुछ कह सकूं। मैं बड़ा आभारी हूं माननीय वित्त मन्त्री का जिन्होंने इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करके जो लाखों रुपये का गबन इस प्रदेश में होता था और हजारों आदमी इसके शिकार होते थे उनके रक्षा की व्यवस्था इस विधेयक द्वारा की गयी है। हम शुरू से आज तक देखते आ रहे हैं कि चिट फन्ड के नाम से सचमुच लोगों को चीट किया जाता था। लोग लालच में पड़ कर उसका शेयर खरीदते थे और दस दिन के बाद उसके कार्यालय की जगह पर ऐसा पता चलता था कि वहां दो चार मेज कुर्सियों और बोर्ड के अलावा कोई चीज विद्यमान नहीं है।

इस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। विधेयक के पृष्ठ २ पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस खण्ड के अन्तर्गत कोई संव्यवहार चिट नहीं होगा यदि ऐसे संव्यवहार में —

(क) अभिदाताओं में से केवल कुछ ही अभिदाताओं को, न कि सभी को, पुरस्कार धनराशि भावी अभिदाय करने के लिये किसी दायित्व के बिना मिले, या

(ख) सभी अभिदाताओं को बारी-बारी से चिट की सम्पूर्ण धनराशि भावी अभिदाय करने के दायित्व सहित मिले।

**दृष्टान्त**—किसी चिट के १०० अभिदाता हैं और उनमें से प्रत्येक १० रुपये का अभिदाय करता है। सभी अभिदाताओं को बारी-बारी से १,००० रुपये मिलते हैं जो चिट की सम्पूर्ण धनराशि है और उनका भावी अभिदाय करने का दायित्व है। ऐसा संव्यवहार उपर्युक्त स्पष्टीकरण के खन्ड (ख) के अधीन आता है और चिट नहीं।

मान्यवर, जो इस तरह का कोई व्यवसाय करना चाहे तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। अगर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो जो यह छूट मिलनी है उसका नाजायज फायदा उठाया जायेगा। चिट फण्ड के अन्तर्गत किसी का पंजीकरण कैसे होगा, उससे बचने की व्यवस्था इसमें कर दी गयी है। मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बड़ी कृपा होगी इसे इसमें से निकाल दिया जाये और जो व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है उसकी अतिरिक्त चिट के नाम पर कोई काम करे तो उसे कानूनन दन्डित होना चाहिये। इस प्रकार से जो उद्देश्य इसका है उसकी पूर्ति हो सकती है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार पंजीकरण कैसे करेगा, उसमें शर्त रखी गयी है, लेकिन उनका पालन हो रहा है अथवा नहीं, इस बात को देखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। रजिस्ट्रार इस

कार्य के लिये सहायक निबन्धक को नियुक्त करेगा। वह उस शिकायत की जांच करेगा जो उसको प्राप्त होगी। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि आडीटर वगैरह वहां जाकर उसकी जांच करें। वह कुर्सी, मेज आदि छोड़कर गायब हो सकता है और इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अगर माननीय मन्त्री जी इसमें इस तरह की व्यवस्था कर दें कि उसके नाम पर भविष्य में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा लूटा नहीं जायेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाये तो म समझता हूं कि यह एक आदर्श विधेयक होगा।

देखने में आया है कि लोग अदालत में गये हैं, लेकिन वहां उस व्यक्ति का पता ही नहीं लगा कि वह कहां का रहने वाला है। इसलिये अदालत भी उसके खिलाफ कुछ करने में असमथ रही। मैं समझता हूं कि जब कोई व्यक्ति निबन्धक के यहां पंजीकरण के लिये जाये तो उसका पूरा पता, नाम आदि का सत्यापन कर लिया जाये तभी उसका रजिस्ट्रेशन किया जाये। कोई व्यक्ति शर्तों को कागज पर लिखकर दे सकता है और अपना पंजीकरण करा सकता है। उनका चरित्र और व्यवहार पुलिस से सत्यापित कराया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, सामान्यत: जो सम्मानित सदस्य वाराणसी ने सुझाव दिये उन्हें मुझे मानने में कोई आपत्ति न होती और मैं उन्हें सहर्ष मानता लकिन इस समय इस बात की आवश्यकता है कि चिट फण्ड जल्दी से कानून बने। तो मैं उनकी यह आज्ञा चाहता हूं कि जैसा विधेयक इस समय है वे कृपया इसको पारित हो जाने दें और अगर बाद में कोई व्यवहारिक कठिनाई आयेगी तो हम बाद को इसे संशोधित कर सकते हैं। अभी तक इस चिट फण्ड को मर्यादित करने का कोई कानून या व्यवस्था नहीं थी और इस विधेयक के द्वारा पहली बार यह प्रयास किया गया ह कि विस्तार के साथ पूरी प्रणाली का गठन किया जाय जिसमें चिट फण्ड को रजिस्टर करने का प्राविधान है। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस विधेयक की धारा १४ में दिया हुआ है कि चिट चलाने वाला फोरमैन लाजमी तौर पर कम से कम चिट फण्ड के बराबर सिक्योरिटी धनराशि के रूप में जमा करेगा।

जहां तक दन्ड देने की व्यवस्था का सम्बन्ध है धारा ५९ में दण्ड देने की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति धारा ३, ४ या ७ के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। और इसके साथ-साथ धारा ५९ (२) (ग) में दिया गया है कि अगर कोई किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। आगे ५९(३) में यह भी दिया गया है कि जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों द्वारा या उनके किन्हीं प्रयोजनों के लिये अपेक्षित किसी दस्तावेज में जान-बूझकर कोई मिथ्या कथन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने के जो पांच हजार रुपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। कार्यवाही करने का भी प्राविधान इसी विधेयक में है।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक की धारा ६९ में दिया हुआ है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। उसमें भी कई बातें दी हुई है कि किस प्रकार से इस विधेयक को कार्यान्वित किया जायगा। मुझे आशा है कि माननीय ऊदल जी सहमत होंगें कि धारा ५९ में जो प्राविधान है वह पर्याप्त व्यवस्था है और किसी भी चिट फण्ड को जिस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बहुत अच्छा वर्णन किया है, वे सब इस विधेयक में आ जायेंगे जो इस समय चल भी रहे हैं और जिन चिट फण्डों का उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है, उनकी भी जांच करवा लूंगा, सावधानी से, रजिस्ट्रेशन के पहले।

जहां तक माननीय सदस्य हल्द्वानी जी के सुझाव हैं वे विचारणीय अवश्य हैं। स्पष्टीकरण का जहां तक सम्बन्ध है मेरे ख्याल में जो चिट फन्ड के रूप में रजिस्टर नहीं होंगे तो वे तो वैसे ही गैर कानूनी हो जायेंगे। बाद में अगर कोई कठिनाई आयेगी तो वे अलग लिख कर मुझे इस सम्बन्ध में सुझाव भेज दें तो हम उन पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५ को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें

२--इस अधिनियम, में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(१) "अनुमोदित बैंक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक से है ;

(२) "चिट" का तात्पर्य किसी ऐसे संव्यवहार से है, चाहे उसे चिट फन्ड, चिट, या कुरी कहा जाय या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसके द्वारा उसका फोरमैन अनेक अभिदाताओं के साथ यह करार करे की उनमें से प्रत्येक एक निश्चित राशि या निश्चित परिमाण में अनाज या किसी अन्य माल का कालिक किस्तों में उतनी विनिर्दिष्ट कालावधियों के लिये जिनकी संख्या अभिदाताओं की संख्या के बराबर हो, अभिदाय करेगा, और प्रत्येक अभिदाता या उनमें से कुछ लाट द्वारा या नीलाम द्वारा या निविदा द्वारा या किसी अन्य ऐसी रीति से जो करार में व्यवस्थित हो, अवधारित अपनी बारी आने पर पुरस्कार धनराशि पाने का हकदार होगा ;

स्पष्टीकरण--इस खंड के अर्थान्तर्गत कोई संव्यवहार चिट नहीं होगा यदि ऐसे संव्यवहार में --

(क) अभिदाताओं में से केवल कुछ ही अभिदाताओं को, न कि सभी को, पुरस्कार धनराशि भावी अभिदाय करने के लिये किसी दायित्व के बिना मिले; या

(ख) सभी अभिदाताओं को बारी-बारी से चिट की सम्पूर्ण धनराशि भावी अभिदाय करने के दायित्व सहित मिले।

दृष्टांत--किसी चिट के १०० अभिदाता हैं और उनमें से प्रत्येक १० रुपये का अभिदाय करता है। सभी अभिदाताओं को बारी-बारी से १,००० रुपये मिलते हैं जो चिट की सम्पूर्ण धनराशि है,

और उनका भावी अभिदाय करने का दायित्व है। ऐसा संव्यवहार उपर्युक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन आता है और चिट नहीं है ;

(३) "चिट करार" का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसमें फोरमैन और अभिदाता के बीच चिट से सम्बन्धित करार के अनुच्छेद हों ;

(४) "चिट की धनराशि" का तात्पर्य छूट के लिये अन्यथा कोई कटौती किये बिना या चिट की किसी किस्त के लिये सभी अभिदाताओं द्वारा देय अभिदायों की कुल राशि से है ;

(५) "व्यतिक्रमी अभिदाता" का तात्पर्य ऐसे अभिदाता से है जिसने चिट करार की शर्तों के अनुसार देय अभिदायों से भुगतान में व्यतिक्रम किया हो ;

(६) "छूट" का तात्पर्य, यथास्थिति, उस राशि से या अनाज या अन्य माल के उस परिमाण से है जिसे कोई पुरस्कृत अभिदाता चिट करार की शर्तों के अधीन छोड़ने के लिये अपेक्षित हो और जिसे चिट को चलाने के व्यय को पूरा करने अथवा अभिदाताओं में वितरित करने या दोनों के लिये उक्त करार के अधीन पृथक रखा जाय ;

(७) "लाभांश" का तात्पर्य छूट में अभिदाता के उस अंश से है जो चिट की किसी किस्त मे अभिदाताओं के बीच आनुपातिक वितरण के लिये चिट करार के अधीन उपलब्ध हो ;

(८) अपने व्याकरणिक रूप में भेदों सहित, "ड्रा" का तात्पर्य चिट की किसी किस्त में पुरस्कार धनराशि पाने के हकदार या व्यक्ति या व्यक्तियों को अभिनिश्चित करने से है ;

(९) "फर्म" का तात्पर्य भारतीय भागीदार अधिनियम, १९३२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी फर्म से है ; अधिनियम संख्या ९, १९३२

(१०) "फोरमैन" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत फर्म भी है) से है जो चिट करार के अधीन चिट के संचालन के लिये उत्तरदायी हो, और इसके अन्तर्गत धारा ३२ में उल्लिखित परिस्थितियों में चिट के चलते रहने पर फोरमैन के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(११) "अपुरस्कृत अभिदाता" के अन्तर्गत ऐसा अभिदाता नहीं है जिसने चिट करार की शर्तों के अनुसार देय अभिदायों का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो ;

(१२) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(१३) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर परगना मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) (उप खंड मजिस्ट्रेट) से है ;

(१४) "पुरस्कार धनराशि" का तात्पर्य चिट की धनराशि और छूट के बीच अन्तर की धनराशि से है, और किसी टिकट के भाग की दशा में टिकट के भाग के अनुपात में चिट की धनराशि और छूट के बीच अन्तर की धनराशि से है, और जहां पुरस्कार धनराशि नकद से भिन्न प्रकार से देय हो वहां पुरस्कार धनराशि का मूल्य उसके देय होने के समय का मूल्य होगा ;

(१५) "पुरस्कृत अभिदाता" का तात्पर्य ऐसे अभिदाता से है जिसे पुरस्कार की धनराशि मिली हो या जो उसका हकदार हो;

(१६) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य धारा ५३ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से है और उसके अन्तर्गत उस धारा के अधीन नियुक्त और इस अधिनियम के अधीन उसके सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार भी है;

(१७) "विक्रय मूल्य" का तात्पर्य छूट के लिये कोई कटौती किये बिना चिट की किसी किश्त के लिये समस्त अभिदाताओं द्वारा देय अभिदान की कुल धनराशि से है;

(१८) "अभिदाता" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसके पास टिकट का भाग हो, और लिखित समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा टिकट या उसके भाग का अन्तरिती भी है;

(१९) "टिकट" का तात्पर्य चिट में अभिदाता के अंश से है।

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (४) में शब्द "के लिए अन्यथा" के स्थान पर शब्द "के लिये या अन्यथा" रख दिये जायें तथा शब्द "किये बिना" के पश्चात् आने वाला शब्द "या" हटा दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (४) में शब्द "के लिये अन्यथा" के स्थान पर शब्द "के लिये या अन्यथा" रख दिये जायें तथा शब्द "किये बिना" के पश्चात् आने वाला शब्द "या" हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २(१३) में शब्द तथा कोष्ठक "(उपखंड मजिस्ट्रेट)" निकाल दिये जायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २(१३) में शब्द तथा कोष्ठक "(उपखंड मजिस्ट्रेट)" निकाल दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड २ में "विक्रय मूल्य" की परिभाषा से सम्बन्धित उपखंड (१७) निकाल दिया जाय तथा उसके पश्चात्वर्ती उपखंड (१८) तथा (१९) को क्रमश: उपखंड (१७) तथा (१८) के रूप में पुन: संख्यांकित कर दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में "विक्रय मूल्य" की परिभाषा से सम्बन्धित उपखंड (१७) निकाल दिया जाय तथा उसके पश्चात्वर्ती उपखंड (१८) तथा (१९) को क्रमश: उपखंड (१७) तथा (१८) के रूप में पुन: संख्यांकित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

**खंड ३ से ११ तक**

उप विधियों का रजिस्ट्रीकरण

३—(१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई व्यक्ति कोई चिट तब तक न तो प्रारम्भ करेगा और न चालित करेगा जब तक कि उसने ऐसी सामान्य उपविधियों को जिनके अधीन विभिन्न चिट आवलियां चलायी जानी हों, रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकृत न करा दिया हो,

(२) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ चिट आवलियों की सामान्य उप विधियों जो फोरमैन द्वारा हस्ताक्षरित तथा कम-से-कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायेंगी।

(३) रजिस्ट्रार—

(१) यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (२) के अधीन उसके समक्ष दाखिल की गई सामान्य उप विधियां इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत नहीं हैं और चिट का संचालन करने के लिये फोरमैन समुचित व्यक्ति है, उप विधियों की रजिस्ट्री कर सकेगा और फोरमैन को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र दे सकेगा ; या

(२) उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।

(४) उपधारा (३) के खण्ड (२) के अधीन अपनी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार किन्हीं ऐसी सामान्य उप विधियों का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर देगा जिसमें अभिदाता से लिखित रूप में इस बात का करार करने की व्यवस्था न हो कि चिट फन्ड में अभिदाय की किस्तें मासिक होंगी और अभिदाताओं से प्रत्येक मास में प्राप्त चिट की धनराशि का, छूट काटने के पश्चात् जो चिट की धनराशि के तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, भुगतान पुरस्कृत अभिदाता को किया जायगा और फोरमैन को कमीशन देने के पश्चात् जो चिट की धनराशि के पांच प्रतिशत से अधिक न होगा, छूट अभिदाताओं में आनुपातिक वितरण के लिये उपलब्ध होगी।

(५) रजिस्ट्रार उपविधियों की एक प्रतिलिपि रख लेगा और दूसरी प्रतिलिपि फोरमैन को इस पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा कि उप विधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई हैं।

(६) किसी संविदा, दस्तावेज या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, फोरमैन और अभिदाता के बीच करार के अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट कोई ऐसा करार जिसमें छूट काटने के पश्चात् चिट की सम्पूर्ण धनराशि पुरस्कृत अभिदाता को भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है, शून्य होगा।

**उस चिट के जिस की उप विधियां रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हैं, अभिदाय के लिये आमन्त्रित करने का प्रतिषेध**

४—कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई नोटिस, परिपत्र, विवरण पत्रिका या अन्य दस्तावेज जिसमें किसी चिट की शर्तें तथा निबन्ध न दिये गय हों या जिससे जनता को किसी चिट में टिकटों के लिये अभिदाय करने के लिये आमन्त्रित किया गया हो, तब तक न तो जारी करेगा और न प्रकाशित करेगा जब तक कि वह धारा ३ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सामान्य उप विधियों के अधीन किसी चिट से सम्बद्ध न हो।

**चिट-करार का प्रारूप**

५—प्रत्येक चिट-करार फोरमैन द्वारा, तथा अभिदाताओं अथवा अभिदाताओं द्वारा लिखित रूप में तदर्थ सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्तान्तरित और दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दो प्रतियों में होगा, तथा उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्—

(१) प्रत्येक अभिदाता का पूरा नाम और स्थायी नैवासिक पता ;

(२) प्रत्येक अभिदाता द्वारा धृत टिकटों की सख्या;

(३) किस्तों की संख्या और प्रत्येक किस्त के लिये प्रत्येक टिकट के सम्बन्ध में देय धनराशि ;

(४) चिट के प्रारम्भ और समाप्त होने का दिनांक;

(५) पुरस्कृत अभिदाता अभिनिश्चित करने का ढंग ;

(६) उस छूट की धनराशि जिसे पुरस्कृत अभिदाता को किसी किस्त में छोड़ना प ेगा ;

(७) वह ढंग जिसके अनुसार और वह अनुपात जिसमें लाभांश, फोरमैन का कमीशन और अन्य व्ययों के, यदि कोई हों, रूप में छूट वितरणीय हों ;

(८) वह दिनांक, समय तथा स्थान जहां पर चिट ड्रा की जायगी ;

(९) यदि चिट-करार के अधीन फोरमैन चिट की धनराशि का हकदार हो तो वह किस्त जिस पर फोरमैन को चिट की धनराशि मिलेगी ;

(१०) अनुमोदित बैंक जिसमें या जिनमें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन फोरमैन द्वारा चिट की धनराशि जमा की जायगी ;

(११) वह रीति जिसके अनुसार चिट उस दशा में जारी रखी जायगी जब ऐसे फोरमैन की, जो एक व्यक्ति हो, मृत्यु हो जाय या वह विकृत-चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय ; और

(१२) ऐसी अन्य विशिष्टयां जो विहित की जायं।

**चिट-करार का दाखिल किया जाना**

६—(१) प्रत्येक चिट-करार, और उसमें धारा ९ के अधीन किये गये प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्द्धन को, उसकी द्वितीय प्रति सहित रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जायगा, जिसे धारा ९ के अधीन करार के रद्द किये जाने, की, यदि कोई हो, सूचना भी दी जायगी।

(२) रजिस्ट्रार चिट-करार को रख लेगा और चिट-करार, परिवर्तन या परिवर्द्धन की द्वितीय प्रति को फोरमैन को इस पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा कि चिट-करार, परिवर्तन या परिवर्द्धन दाखिल कर दिया गया है।

चिट-कारबार प्रारम्भ करना

७—(१) कोई व्यक्ति किसी चिट को नीलाम करने या उसे ड्रा करने का कार्य तब तक प्रारम्भ न करेगा जब तक कि उसने रजिस्ट्रार से प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो ;

(२) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि चिट की उपविधियां सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई हैं और चिट-करार जिसके अन्तर्गत उसमें परिवर्तन या परिवर्द्धन, यदि कोई हों, भी है, दाखिल कर दिया गया है और धारा १४ के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति फोरमैन द्वारा दे दी गई है, प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देगा।

उप विधियों और चिट-करार की प्रतियों का अभिदाताओं को दिया जाना

८—(१) फोरमैन, धारा ७ में निर्दिष्ट प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र किन्तु चिट के प्रथम बार ड्रा किये जाने के दिनांक तक, न कि उसके पश्चात् प्रत्येक अभिदाता को चिट की उप विधियों की और चिट-करार की प्रति जो उसके द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि प्रमाणित हो, देगा।

(२) फोरमैन, चिट की प्रथम किस्त ड्रा किये जाने वाले मास के अनुवर्ती मास में पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दाखिल करेगा कि उसने उप धारा (१) के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया है।

चिट-करार में परिवर्तन

९—फोरमैन और चिट के सभी अभिदाताओं की लिखित सहमति के सिवाय चिट-करार में न तो परिवर्तन या परिर्द्धन किया जायगा और न उसे रद्द किया जायगा।

बैठक

१०—(१) प्रत्येक मास में अभिदाताओं के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक विहित रीति से होगी।

(२) अपुरस्कृत और असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं की संख्या के योग के पच्चीस प्रतिशत की मांग पर फोरमैन द्वारा, विहित रीति से अभिदाताओं के सामान्य निकाय की विशेष बैठक बुलाई जायगी।

कार्यवाहियों का कार्यवृत्त

११—(१) प्रत्येक ड्रा की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायेंगी और उस पर फोरमैन और समस्त उपस्थित अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। उस पर पुरस्कृत अभिदाता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भी हस्ताक्षर किया जायगा।

(२) ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से दी जायेंगी:—

(१) वह दिनांक और समय जब कार्यवाहियां प्रारम्भ हुईं और समाप्त हुईं और वह स्थान जहां ड्रा हुआ था;

(२) चिट की जिस विशिष्ट किस्त की कार्यवाहियां अभिलिखित की जायें, उसकी संख्या;

(३) उपस्थित अभिदाताओं के नाम;

(४) वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो विशिष्ट किस्त में पुरस्कार की धनराशि का हकदार हो जाय या हो जायें ;

(५) छूट की धनराशि ;

(६) पूर्ववर्ती किस्त के बारे में पुरस्कार की धनराशि के निस्तारण और किसी पूर्ववर्ती किस्त के बारे में असंदत्त पुरस्कार की धनराशि यदि कोई हो, के निस्तारण के सम्बन्ध में, पूर्ण विशिष्टयां ;

(७) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ से ११ तक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

कार्यवृत्त की प्रतिलिपि का रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया जाना

१२—प्रत्येक फोरमैन, उस मास के जिसमें एक ही चिट की एक या दो किस्तें अथवा किसी अन्य चिट की एक या दो किस्तें ड्रा की जायें, अनुवर्ती मास में पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी सभी किस्तों के ड्रा के सम्बन्ध में धारा ११ में निर्दिष्ट अभिलेख की प्रतिलिपि, जो फोरमैन द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि प्रमाणित हों, दाखिल करेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में शब्द "एक या दो किस्तें" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "एक या अधिक किस्तें" रख दिये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ में शब्द "एक या दो किस्तें" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "एक या अधिक किस्तें" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

चिट का मूल्य

१३—कोई फोरमैन किसी एक समय में किन्हीं ऐसी चिटों का संचालन नहीं करेगा जिसकी कुल धनराशि फोरमैन की शुद्ध आस्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ फोरमैन की शुद्ध आस्तियों का अवधारण करने में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति की धनराशि को अलग कर दिया जायगा यदि ऐसी धनराशि अभिदाताओं से अग्रिम रूप में प्राप्त अभिदान की धनराशि हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में शब्द "जिसकी" के स्थान पर "जिनकी" रख दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३ में शब्द "जिसकी" के स्थान पर शब्द "जिनकी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खंड १४**

फोरमैन द्वारा प्रतिभूति का दिया जाना

१४—(१) प्रत्येक फोरमैन किन्हीं चिट-आवलियों के सम्बन्ध में धारा ७ में निर्दिष्ट प्रारम्भ करने के प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करने के पूर्व —

(क) चिट के उचित संचालन के लिये अन्य अभिदाताओं के पक्ष में या उनके लिये न्यासत: एक बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति को भारित करेगा जो रजिस्ट्रार के सन्तोषानुसार विक्रय मूल्य के दुगुने के बराबर धनराशि को वसूल करने के लिये पर्याप्त हो ;

(ख) किसी अनुमोदित बैंक में विक्रय मूल्य के बराबर धनराशि जमा करेगा या विक्रय मूल्य के डेढ़ गुने से न्यून अंकित मूल्य की धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करेगा और इस प्रकार जमा की गई धनराशि या सरकारी प्रतिभूतियां रजिस्ट्रार के पक्ष में अन्तरित करेगा जिसे वह चिट के सम्यक् संचालन के लिये प्रतिभूति के रूप में न्यासत: रखेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जंगम सम्पत्ति प्रतिभूति के रूप में भारित की जाय वहां केवल उस प्रकार की जंगम सम्पत्ति को ही जो विहित की जाय, इस प्रकार भारित किया जायगा और ऐसी जंगम सम्पत्ति को ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी के समक्ष जिसे विहित किया जाय, जमा किया जायगा ;

(२) जहां फोरमैन एक से अधिक चिट संचालित करता है वहां वह प्रत्येक चिट के सम्बन्ध में उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिभूति देगा।

ऐक्ट संख्या १, १९५६

(३) कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ५२० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति किसी डिक्री के निष्पादन के लिये या अन्यथा तब तक कुर्क न की जायगी —

(१) जब तक कि चिट समाप्त न कर दी जाय और सभी अभिदाताओं के दावों की पूर्णत: तुष्टि न कर दी जाय ;

(२) जब तक कि रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन फोरमैन द्वारा देय सभी देयों का भुगतान न कर दिया गया हो ;

(३) जहां देय पुरस्कृत धनराशि पुरस्कृत अभिदाता के व्यतिक्रम के कारण चिट समाप्त किये जाने के पश्चात भी, असंदत्त

रहे तो जब तक कि फोरमैन चिट करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में ऐसी धनराशि जमा न कर दे और इस प्रकार जमा करने की लिखित संसूचना पुरस्कृत अभिदाता को न दे दे।

(४) रजिस्ट्रार चिट समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि उपधारा (३) के खण्ड (१) से (३) में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रतिभूति के रूप में भारित सम्पत्ति को निर्मुक्त कर देगा अथवा नगद प्रतिभूति या सरकारी प्रतिभूतियों को निर्मुक्त करने का आदेश देगा, और ऐसा करने में वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय।

(५) रजिस्ट्रार किसी फोरमैन के आवेदन पर, उपधारा (४) के अधीन, प्रतिभूति निर्मुक्त करने के बजाय उसे उसी फोरमैन द्वारा संचालित की जाने वाली किसी अन्य चिट के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में स्वीकार कर सकेगा यदि इस प्रकार स्वीकार की गयी प्रतिभूति का मूल्य या उसकी धनराशि उपधारा (१) में निर्दिष्ट मूल्य या धनराशि से कम हो तो रजिस्ट्रार उस कमी को पूरा करने के लिये फोरमैन से अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा करेगा यदि ऐसी प्रतिभूति का मूल्य या उसकी धनराशि अपेक्षित मूल्य या धनराशि से अधिक हो तो रजिस्ट्रार ऐसे आधिक्य को निर्मुक्त कर देगा।

(६) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दी गई प्रतिभूति के सम्बन्ध में फोरमैन चिट के चालू रहने के दौरान कोई संव्यवहार नहीं करेगा और उसके सम्बन्ध में फोरमैन द्वारा अन्तरण भार, बन्धक या अन्य विल्लंगम के रूप में की गई कार्यवाही शून्य होगी।

**श्री देव बहादुर सिंह**—

आपकी आज्ञा से मैं प्रताव करता हूं कि खण्ड १४ में जहां कहीं शब्द "विक्रय मूल्य" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "चिट की धनराशि" रख दिये जायं।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**—

स्वीकार है।

**श्री अध्यक्ष**—

प्रश्न यह है कि खंड १४ में जहां कहीं शब्द "विक्रय मूल्य" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "चिट की धनराशि" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खंड १५**

**फोरमैन के अधिकार**

१५—इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, फोरमैन—

(क) चिट-करार में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के न होने पर, चिट-करार में तदर्थ विनिर्दिष्ट किस्त पर चिट की धनराशि पाने का;

(ख) चिट की धनराशि के पांच प्रतिशत से अनधिक उतने कमीशन या पारिश्रमिक का जो चिट-करार में निश्चित किया जाय;

(ग) अभिदाताओं से सभी अंशदान प्राप्त और वसूल करने का ;

(घ) भावी अभिदायों का सम्यक् रूप से भुगतान करने के लिये किसी पुरस्कृत अभिदाता से पर्याप्त प्रतिभूति की मांग करने का ;

स्पष्टीकरण:--इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई प्रतिभूति पर्याप्त कही जायगी यदि पुरस्कृत अभिदाता द्वारा देय धनराशि से प्रतिभूति का मूल्य एक-तिहाई अधिक हों, या यदि प्रतिभूति स्थावर सम्पत्ति के रूप में हो तो मूल्य ड्योढ़े से अधिक हो।

(ङ) व्यतिक्रमी अभिदाताओं के स्थान पर दूसरे अभिदाता रखने का; और

(च) ऐसे सभी अन्य कार्य का जो चिट के सम्यक् और समुचित संचालन के लिये आवश्यक हों;

हकदार होगा ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५(ख) में शब्द "पारिश्रमिक" के स्थान पर शब्द "पारिश्रमिक पाने" रख दिये जायं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ (ख) में शब्द "पारिश्रमिक" के स्थान पर शब्द " पारिश्रमिक पाने" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५(च) में शब्द "कार्य" के स्थान पर शब्द " कार्य करने" रख दिये जायं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५(च) में शब्द "कार्य" के स्थान पर शब्द " कार्य करने" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १६

फोरमैन के कर्त्तव्य

१६—(१) फोरमैन, पुरस्कृत अभिदाता द्वारा भावी अभिदायों का सम्यक् रूप से भुगतान करने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति दिये जाने पर, उसे पुरस्कार धनराशि का भुगतान करने के लिये बाध्य होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि पुरस्कृत अभिदाता पुरस्कार धनराशि का सभी भावी अभिदायों को काटने के पश्चात्, किसी प्रकार की प्रतिभूति के बिना तत्काल भुगतान किये जाने की मांग करने का हकदार होगा, और ऐसी दशा में फोरमैन अगली किस्त के दिनांक के पर्व, चिट-करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में इस प्रकार काटे गये भावी अभिदाय की धनराशि जमा करेगा, और वह इस प्रकार जमा धनराशि को सिवाय भावी अभिदायों के भुगतान के लिये, नहीं निकालेगा ।

(२) यदि पुरस्कृत अभिदाता के व्यतिक्रम के कारण किन्हीं देयों के सम्बन्ध में देय पुरस्कार धनराशि आगामी ड्रा के दिनांक के पूर्व असंदत्त रह जाय, तो फोरमैन चिट फण्ड करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक उसे तत्काल जमा करेगा और इस प्रकार जमा करने की सूचना लिखित रूप में पुरस्कृत अभिदाता और रजिस्ट्रार को देगा ।

(३) प्रत्येक पुरस्कार धनराशि के भुगतान, उपधारा (१) के अधीन भावी अभिदायों की धनराशि को जमा करने, और उपधारा (२) के अधीन पुरस्कार धनराशि को जमा करने की संसूचना आगामी ड्रा के समय अभिदाताओं को दी जायगी, और ऐसे भुगतान या जमा की विशिष्टियां ड्रा की कार्यवाहियों के अभिलेख में दज की जायेंगी ।

(४) फोरमैन किसी ऐसी धनराशि से जिसके लिये वह धारा १५ के खण्ड (क) और (ख) के अधीन हकदार है, अधिक कोई धनराशि अपने लिए विनियोजित नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन उस ब्याज के सिवाय जो उपधारा (२) के अधीन या धारा २४ के अधीन की गई जमा पर हो, बैंकों में जमा किसी धनराशि पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज को, अपने लिए विनियोजित कर सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६(२) में शब्द "बैंक मे" के स्थान पर शब्द "बैंक में उसे" रख दिये जायं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६(२) में शब्द "बैंक से" के स्थान पर शब्द "बक में उसे" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**खण्ड १७ से २१**

रजिस्टर और लेखाबहियां

१७—प्रत्येक फोरमैन ऐसे रजिस्टर और लेखा-बहियां, ऐसे प्रपत्र में रखेगा जो विहित किये जायें ।

तुलन-पत्र

अधिनियम संख्या १, १९५६

१८—(१) प्रत्येक फोरमैन ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय लेखा अवधि से सम्बन्धित तुलन-पत्र जो या तो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अधीन कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिये सम्यक् रूप से अर्हित लेखा परीक्षकों द्वारा या धारा ५३ की उपधारा (३) के अधीन नियुक्त चिट लेखा-परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से लेखा परीक्षित हो, तैयार करेगा और रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करेगा ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट तुलन-पत्र में, —

(क) उसके द्वारा संचालित सभी चिटों की आस्तियों और दायित्वों की संक्षिप्ति होगी;

(ख) ऐसी विशिष्टियां दी जायेंगी जिनसे यह प्रकट हो कि उक्त आस्तियों और दायित्वों का स्वरूप क्या है और उन आस्तियों का मूल्य किस प्रकार निकाला गया है ; और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जायं ।

अभिदाताओं के प्रति फोरमैन का दायित्व

१९—(१) प्रत्येक फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशि का लेखा-जोखा उन्हें देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(२) जहां एक से अधिक फोरमैन हों तो उनमें से प्रत्येक संयुक्ततः और पृथकतः, या यदि फोरमैन कोई फर्म हो तो उसके भागीदारी में से प्रत्येक संयुक्ततः और पृथकतः और यदि फोरमैन कोई निगम हो तो वह निगम, चिट से उद्भूत होने वाली बाध्यताओं के सम्बन्ध में अभिदाताओं के प्रति उत्तरदायी होगा ।

फोरमैन का प्रत्याहृत होना

२०—(१) जहां चिट में फोरमैन के रूप में एक से अधिक व्यक्ति हों तो उनमें से कोई भी चिट समाप्त होने तक उससे प्रत्याहृत नहीं होगा जब तक कि इस प्रकार प्रत्याहृत होने के सम्बन्ध में सभी अपुरस्कृत अभिदाताओं और असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा सम्पत्ति न दे दी जाय और ऐसी सम्मति दिये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर शेष फोरमैनों द्वारा ऐसी सहमति की एक शुद्ध प्रति दाखिल न कर दी जाय ।

(२) फोरमैन का ऐसे प्रत्याहरण से धारा १४ के अधीन दी गई प्रतिभूति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अपुरस्कृत अभिदाता अभिदान का भुगतान करेंगे और रसीद प्राप्त करेंगे

२१—प्रत्येक अपुरस्कृत अभिदाता अपने अभिदाय का भुगतान चिट-करार में उल्लिखित समय और स्थान पर करेगा और ऐसा भुगतान करने पर फोरमैन से रसीद पाने का हकदार होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १७, १८, १९, २० और २१ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २२

व्यतिक्रमी अभिदाताओं का हटाया जाना

२२—(१) (क) ऐसे अपुरस्कृत अभिदाता का नाम जो चिट-करार की शर्तों के अनुसार अपने अभिदान का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है, अभिदाताओं की सूची से हटाया जा सकेगा ।

(ख) नाम का इस प्रकार हटाया जाना, उसके दिनांक सहित, फोरमैन द्वारा रखी जाने वाली व्यतिक्रमी अभिदाताओं की पुस्तिका में दर्ज किया जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन व्यतिक्रम अभिदाता का नाम हटाये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर फोरमैन—

(क) इस तथ्य का नोटिस ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता को देगा ; और

(ख) उपधारा (१) के खंड (ख) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करेगा ।

(३) अभिदाताओं की सूची से अपना नाम हटाये जाने से व्यथित कोई व्यतिक्रमी अभिदाता, हटाये जाने का नोटिस संसूचित किये जाने के सात दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है ।

(४) रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे और रजिस्ट्रार का विनिश्चिय अन्तिम होगा ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ (३) में शब्द "व्यथित" के स्थान पर शब्द "क्षुब्ध" रख दिया जाय तथा आगे भी जहां-जहां शब्द "व्यथित" आया हो, वहां-वहां शब्द "क्षुब्ध" रख दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२(३) में शब्द "व्यथित" के स्थान पर शब्द "क्षुब्ध" रख दिया जाय तथा आगे भी जहां-जहां शब्द "व्यथित" आया हो, वहां-वहां शब्द "क्षुब्ध" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २३ से ६९ तक

अभिदाता का प्रतिस्थानी

२३—(१) फोरमैन अभिदाताओं की सूची में ऐसी व्यतिक्रमी अभिदाता के स्थान पर जिसका नाम धारा २२ की उपधारा (१) के अधीन ऐसी सूची से हटा दिया गया हो, किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रतिस्थापन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि धारा २२ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन व्यतिक्रमी अभिदाता

को दिये गए नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत न हो जायं ।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रतिस्थापन को उसके दिनांक सहित, धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पुस्तिका में दर्ज किया जायगा, और फोरमैन ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति, ऐसे प्रतिस्थापन के दिनांक से चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष, इस प्रमाण-पत्र के साथ दाखिल करेगा कि चिट की उपविधियों की और चिट-करार की प्रति जो शुद्ध प्रति के रूप में प्रमाणित हों, प्रतिस्थापित अभिदाता को दे दी गई है ।

(३) प्रतिस्थापित अभिदाता से वसूल किये गये अभिदाय के सभी बकाया को जिसमें से फोरमैन द्वारा अग्रिम दी गई धनराशि को घटा दिया जायगा, चिट–करार में उल्लिखित किसी अनुमोदित बैंक में रजिस्ट्रार के नाम अगली किस्त के दिनांक के पूर्व फोरमैन द्वारा जमा किया जायगा ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "अभिदानों के बकाया" का तात्पर्य प्रतिस्थापित अभिदाता से वसूल की गई सभी पूर्ववर्ती किस्तों से होगा।

**व्यतिक्रमी अभिदाता को देय धनराशि के सम्बन्ध में किस प्रकार कार्यवाही की जायगी**

२४–– (१) जहां कि कोई प्रतिस्थापित अभिदाता पुरस्कार धनराशि आहरित करता है, वहां व्यतिक्रमी अभिदाता अपने अंशदानों को, ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए, जिसकी व्यवस्था चिट-करार में की जाय और जो किसी भी दशा में ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता द्वारा पहले से प्राप्त लाभांश से अधिक न होगी वसूल करने का हकदार होगा ।

(२) व्यतिक्रमी अभिदाता द्वारा मांग किए जाने पर और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति निष्पादित करने पर, फोरमैन रजिस्ट्रार को सभी कटौतियां करने के पश्चात् देय धनराशि की सूचना देगा और रजिस्ट्रार ऐसे व्यतिक्रमी अभिदाता के पक्ष में चेक या ड्राफ्ट जारी करेगा।

(३) यदि व्यतिक्रमी अभिदाता उपर्युक्त अभिस्वीकृति देने में असफल रहता है तो फोरमैन व्यतिक्रमी अभिदाता को देय धनराशि, अगली किस्त क दिनांक के पूर्व, किसी अनुमोदित बैंक में जमा करेगा, और इस प्रकार जमा करने के तथ्य की लिखित संसूचना व्यतिक्रमी अभिदाता और रजिस्ट्रार को देगा । इस प्रकार जमा की गई धनराशि फोरमैन द्वारा व्यतिक्रमी अभिदाता को भुगतान किये जाने से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं निकाली जायगी ।

**पुरस्कृत अभिदाता प्रतिभूति देगा**

२५––प्रत्येक पुरस्कृत अभिदाता, सभी भावी अभिदायों की कटौतियां किये बिना पुरस्कार की धनराशि लेने के पूर्व, फोरमैन को पर्याप्त प्रतिभूति देगा और फोरमैन ऐसी प्रतिभूति को भावी अभिदायों का सम्यक् भुगतान करने के लिये लेगा, और यदि फोरमैन पुरस्कृत अभिदाता है या धारा १५ के खण्ड (क) के अधीन चिट की धनराशि आहरित करता है तो वह रजिस्ट्रार के सन्तोषानुसार भावी अभिदायों के सम्यक् भुगतान के लिये प्रतिभूति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन से भिन्न कोई पुरस्कृत अभिदाता जिसकी प्रतिभूति को फोरमैन द्वारा पर्याप्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार न किया जाय, उस दिनांक से जब वह पुरस्कृत अभिदाता हो जाय, तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश दे सकेगा जिसे वह उचित समझे, और उस विषय में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

**पुरस्कृत अभिदाता नियमित रूप से अभिदाय देगा**

२६—प्रत्येक पुरस्कृत अभिदाता चिट-करार में उल्लिखित समय और स्थान तथा दिनांकों पर अपना अभिदान नियमित रूप से देगा और ऐसा न करने पर वह सभी भावी अभिदायों का समेकित रूप में तत्काल भुगतान करने का दायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि फोरमैन किसी व्यतिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता की ओर से अभिदाय की धनराशि प्रतिमास तब तक देगा जब तक कि ऐसे व्यतिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता से बकाया का समेकित भुगतान और सभी भावी किस्तें वसूल न हो जायें और उस धनराशि को फोरमैन ऐसे पुरस्कृत अभिदाता की ओर से अपने द्वारा दिये गये अभिदाय को काटने के पश्चात् रजिस्ट्रार के लेखे में जमा करेगा।

**समेकित भुगतान की वसूली और उसका निस्तारण**

२७—(१) यदि भावी अभिदायों के समेकित भुगतानों के लिये फोरमैन द्वारा लाये गये किसी वाद, में व्यतिक्रमी पुरस्कृत अभिदाता, बाद की सुनवाई के लिये नियत दिनांक को या उसके पूर्व, उस दिनांक तक के अभिदायों का बकाया और चिट-करार में उसके लिये व्यवस्थित दर से या बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, इनमें से जो भी कम हो, उस पर ब्याज देने और फोरमैन को भुगतान के लिये वाद-व्यय देने को सहमत हो या न्यायालय में दे तो, किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी न्यायालय तदनुसार डिक्री पारित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा वाद बचन-पत्र पर हो तो इस उपधारा के अधीन कोई डिक्री तब तक पारित नहीं की जायगी तब तक कि ऐसे वचन-पत्र में स्पष्ट रूप से यह वर्णित न हो कि तद्धीन देय धनराशि चिट के अभिदायों के भुगतान के सम्बन्ध में है ।

(२) प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित रखने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन भुगतान करने का हकदार होगा ।

(३) (क) फोरमैन द्वारा भावी अभिदायी के लिये वसूल किये गये सभी समेकित भुगतान किसी अनुमोदित बैंक में आगामी किस्त के दिनांक के पूर्व जमा किये जायेंगे और उन्हें केवल भावी अभिदायों के भुगतान के लिये ही निकाला जा सकता है ।

(ख) जहां कोई सम्पत्ति समेकित भुगतान के बदले में स्वीकार की जाय तो वे भावी अभिदायों के सम्यक् भुगतान के लिये प्रतिभूति के रूप में बनी रहेंगी।

**फोरमैन के अधिकारों के अन्तरण पर निर्बन्धन**

२८—(१) पुरस्कृत अभिदाताओं से अभिदाय लेने के फोरमैन के अधिकारों के अन्तरण रजिस्ट्रार के लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा ।

(२) कोई ऐसा अपुरस्कृत अभिदाता या असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता हो या दावा करता हो कि किसी ऐसे अन्तरण से उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अन्तरण को अपास्त करने के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है, और रजिस्ट्रार तदर्थ समाधान हो जाने पर, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसे अपास्त कर सकता है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों में या साबित करने का भार अन्तरिती पर होगा कि अन्तरण से किसी अभिदाता के जिसने उस पर आक्षेप किया हो, हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

२९—किसी अपुरस्कृत अभिदाता द्वारा चिट में उसके अधिकारों का प्रत्येक अन्तरण लिखित रूप में होगा जो कम से कम दो साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित होगा और फोरमैन को प्रस्तुत किया जायगा।

अपुरस्कृत अभिदाता से अधिकार का अन्तरण लिखित रूप में होगा

३०—धारा २९ के अधीन प्रत्येक अन्तरण को फोरमैन द्वारा मान्यता दी जायगी, जब तक कि वे यह न समझें कि अन्तरिती शोधक्षम नहीं है अथवा अन्तरण से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध विफल होते है।

फोरमैन द्वारा अन्तरण को मान्यता देना

३१—धारा २८ या धारा २९ में निर्दिष्ट प्रत्येक अन्तरण फोरमैन द्वारा चिट पुस्तिका में तुरन्त दर्ज किया जायगा और फोरमैन, ऐसी प्रविष्टि करने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर ऐसी प्रविष्टि की एक शुद्ध प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा जिसके साथ यह प्रमाण-पत्र होगा कि चिट की उपविधियों और चिट-करार की प्रति, जो शुद्ध प्रति क रूप में प्रमाणित हों, सम्बद्ध अन्तरिती को दे दी गई है।

पुस्तिका में अन्तरितियों के नाम दर्ज करना

३२—(१) जहां ऐसे किसी फोरमैन की, जो व्यक्ति है, मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय तो चिट को चिट-करार के उपबन्धों के अनुसार, जहां करार में ऐसी व्यवस्था हो, जारी रखा जा सकता है।

कतिपय दशाओं में चिटों को जारी रखने के लिये उपबन्ध

(२) ऐसे किसी फोरमैन की दशा में जो फर्म हो, यदि किसी भागीदार की मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय तो चिट करार में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के न होने पर चिट को समाप्त हुआ नहीं समझा जायगा और उत्तरजीवी भागीदार चिट का संचालन करेगा या करेंगे।

३३—कोई चिट समाप्त हुई समझी जायगी—

चिट की समाप्ति

(क) जब चिट-करार में नियत अवधि समाप्त हो गई हो, परन्तु यह तब जब कि सभी अभिदाताओं को देयों का भुगतान पूरा कर दिया गया हो ; या

(ख) जब सभी अपुरस्कृत तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता चिट समाप्त करने के लिये लिखित रूप में सम्मति दें और ऐसी सम्मति की प्रति धारा ३४ की अपेक्षानुसार दाखिल कर दी जाय; या

(ग) जब ऐसे फोरमैन की, जो व्यक्ति हो, मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय और चिट-करार में चिट को जारी रखने की व्यवस्था न हो या जब फोरमैन जो कि फर्म है, के भागीदार की मृत्यु हो जाय या वह विकृत चित्त का या अन्यथा असमर्थ हो जाय और चिट-करार में ऐसी दशा में चिट को बन्द कर देने की व्यवस्था हो।

३४—धारा २० की उपधारा (१) या धारा ३३ के खंड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक सम्पत्ति की, उसके दिनांक सहित, एक शुद्ध प्रति, ऐसी सम्मति दिये जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर फोरमैन या शेष फोरमैन या फोरमैनों द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायगी।

रजिस्ट्रार के समक्ष सम्मति दाखिल करना

३५—धारा ३३ खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट दशाओं के सिवाय—

अपुरस्कृत अभिदाताओं के अंशदान का लौटाया जाना

(१) प्रत्येक अपुरस्कृत अभिदाता, जब तक कि चिट-करार में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, चिट की समाप्ति पर, उसके

द्वारा प्राप्त लाभांश को, यदि कोई हो, काटे बिना, अपना अंशदान वापस पाने का हकदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी अपुरस्कृत अभिदाता के अधिकार धारा २९ के अधीन अन्तरित किये जायें, अपने अंशदानों के अतिरिक्त, जब तक कि चिट-करार में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, ऐसे अपुरस्कृत अभिदाता द्वारा दिये गये अंशदानों को वापस पाने के लिए हकदार होगा ।

(२) यदि चिट-करार में मूलतः नियत दिनांक के पूर्व दिनांक को चिट समाप्त हो जाय तो अपुरस्कृत अभिदाता का दावा उस दिनांक से उद्भूत समझा जायगा जब उसे इस प्रकार समाप्त करने का नोटिस प्राप्त हो ।

**अभिदाताओं के देय चिट आस्तियों पर प्रथम भार होंगे**

३६—जहां चिट के सम्बन्ध में फोरमैन द्वारा ऋण देय हो और उसके द्वारा अन्य ऋण भी देय हो वहां अभिदाताओं के देय चिट सम्बन्धी ऋण चिट आस्तियों पर प्रथम भार होंगे ।

**फोरमैन अभिदाताओं को चिट के अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुज्ञा देगा**

३७—प्रत्येक फोरमैन, पांच रुपये से अनधिक ऐसी फीस जो चिट-करार में विनिर्दिष्ट की जाय, देने पर, अपुरस्कृत तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं को चिट ड्रा किए जाने के सभी दिन अथवा ऐसे दिन तथा ऐसे समय के भीतर जिसकी चिट-करार में व्यवस्था की जाय, पुरस्कृत अभिदाताओं से लिए गये या अभिदाता की हैसियत से स्वयं फोरमैन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिभूति पत्रों और दस्तावेजों, रसीदों तथा अन्य अभिलेखों और सभी चिट-अभिलेखों का जिसके अन्तर्गत लेखा-बहियां, पास बुक, तुलन-पत्र और लाभ हानि का लेखा तथा ऐसे अन्य अभिलेख जिनसे चिट योजना की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो, भी है निरीक्षण करने वाले सभी युक्तियुक्त सुविधायें देगा ।

**फोरमैन द्वारा चिट अभिलेखों का परिरक्षण**

३८—चिट सम्बन्धी सभी अभिलेख फोरमैन द्वारा अविकल रूप में परिरक्षित किये जायेंगे और चिट समाप्त होने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे ।

**चिट पुस्तिकाओं तथा अभिलेखों का निरीक्षण**

३९—(१) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी चिट-पुस्तिकाओं और चिट सम्बन्धी सभी अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है ।

(२) प्रत्येक फोरमैन रजिस्ट्रार या उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर, जैसी वह अपेक्षा करे, चिट पुस्तिकाओं और अभिलखों को प्रस्तुत करने के लिये वाध्य होगा और उसे कोई अन्य सूचना जिसकी वह अपेक्षा करे, देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरीक्षण फोरमैन के भू-गृहादि पर किया जा सकता है यदि वे अग्रिम रूप से ऐसी फीस दें जो निरीक्षण के लिये विहित की जाय :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि फोरमैन बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट, १९४९ में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी हो तो ऐसा निरीक्षण केवल कम्पनी के भू-गृहादि पर और केवल कार्य-दिवस को ही किया जायगा और ऐसा फोरमैन ऐसी फीस देगा जो निरीक्षण के लिये विहित की जाय । ऐक्ट सं० १, १९४९

(३) उपधारा (१) में उल्लिखित कोई अधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत की गई किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों को ऐसी अवधि के लिये जिसे वे उचित समझें, परिबद्ध कर सकता है और अपनी अभिरक्षा में रख सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकारी—

(क) लेखा–बहियों या अन्य दस्तावेजों को परिबद्ध करने के अपने कारणों को अभिलिखित किये बिना ऐसा नहीं करेगा; या

(ख) सिवाय पर्याप्त तथा आपवादिक कारणों के जो अभिलिखित किये जायेंगे, अवकाश के दिनों को अपवर्जित करते हुए पन्द्रह दिन से अधिक अवधि के लिये और रजिस्ट्रार से भिन्न अधिकारी की दशा में रजिस्ट्रार से तदर्थलिखित अनुमोदन लिए बिना अपनी अभिरक्षा में किन्हीं ऐसी पुस्तिकाओं या दस्तावेजों को नहीं रखेगा ।

चिट कब परिसमापित की जा सकती है

४०—चिट ऐसे विहित प्राधिकारी द्वारा जिसकी उस स्थान पर जहां चिट रजिस्ट्रीकृत की गयी हों, अधिकारिता हो, परिसमाप्ति की जा सकती है, यदि—

(क) चिट धारा ३३ के खण्ड (ग) के अधीन समाप्त हो गयी है ; या

(ख) फोरमैन धारा १४ में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति देने में असफल रहता है या यदि वे उसके सम्बन्ध में ऐसा कार्य करता है जिससे प्रतिभूति के स्वरूप या उसके मूल्य में तात्विक रूप से ह्रास हो सकता हो ; या

(ग) फोरमैन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चिट की धनराशि जमा करने में असफल रहता है ; या

(घ) विहित प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध हो जाय कि फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है ; या

(ङ) चिट से किसी अभिदाता को देय धनराशियों के सम्बन्ध में उसके पक्ष में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश पर जारी किया गया निष्पादन या अन्य आदेशिका पूर्णतः या आंशिक रूप में अतुष्ट लौटा दी जाती है ; या

(च) यह साबित हो जाय कि पुरस्कृत अभिदाताओं से प्रत्याभूतियां लेने के मामले में फोरमैन की ओर से कपट या दुस्संधि की गयी है ; या

(छ) फोरमैन ने भावी अभिदायों के लिये पर्याप्त प्रत्याभूति दिये बिना, अभिदाता की हैसियत से पुरस्कार की धनराशि विनियोजित की है ; या

(ज) अन्यथा न्यायसंगत और साम्योचित हो कि चिट परिसमापित कर दी जानी चाहिये ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ यह अवधारित करने में कि क्या फोरमैन अभिदाताओं को देय धनराशियां देने में असमर्थ

हैं, विहित प्राधिकारी चिट के सम्बन्ध में उसके समाश्रित तथा भावी दायित्वों को ध्यान में रखेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अर्थान्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा संचालित चिट केवल उस न्यायालय द्वारा जिसकी उस अधिनियम के अधीन अधिकारिता हो, परिसमापित की जा सकती है । अधिनियम संख्या १, १९५६

परिसमापन के लिए आवेदन-पत्र

४१—चिट के परिसमापन के लिये, यथास्थिति विहित प्राधिकारी या न्यायालय को आवेदन किसी अपुरस्कृत अभिदाता या असंदत्त पुरस्कृत अभिदाता द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा याचिका के रूप में दिया जायेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ द्वारा विहित रीति से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगी, और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जायं : अधिनियम संख्या ५, १९०८

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४० के खंड (घ) या खंड (ज) के अधीन चिट के परिसमापन के लिये कोई आवेदन तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि ऐसी याचिका—

(क) ऐसे अपुरस्कृत अभिदाताओं तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा जिनके चिट में अभिदायों का योग समस्त अपुरस्कृत अभिदाताओं तथा असंदत्त पुरस्कृत अभिदाताओं द्वारा असंदत्त धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, या

(ख) रजिट्रार द्वारा या उसकी पूर्व स्वीकृति से, प्रस्तुत न की जाय ।

स्पष्टीकरण—इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ टिकट के भिन्नांश का अभिदाता केवल उस भिन्नांश तक ही अभिदाता समझा जायगा ।

दिवाला या समापन परिसमापन कार्यवाहियों को वर्जित करेंगी

४२—धारा ४० तथा ४१ में किसी बात के होते हुए भी, चिट के परिसमापन के लिये विहित प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा धारा ४० के अधीन कोई याचिका ग्रहण नहीं की जायगी, यदि फोरमैन को दिवालिया न्यायनिर्णीत करने के लिये प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाहियां विचाराधीन हों अथवा जहां फोरमैन कोई कम्पनी हो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अधीन उस कम्पनी के परिसमापन के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाहियां विचाराधीन हों । ऐक्ट संख्या ५, १९२०

परिसमापन आदेश का प्रारम्भ और प्रभाव

४३—किसी चिट के परिसमापन का आदेश उन सभी अभिदाताओं के पक्ष में प्रवर्तित होगा जिन्हें चिट से धनराशियां देय हों और वह परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय प्रभावी समझा जायगा ।

अन्तरिम रिसीवर तथा अन्य कार्यवाहियों का रोका जाना

४४—विहित प्राधिकारी या न्यायालय फोरमैन के या किसी ऐसे अभिदाता के जिसे चिट के सम्बन्ध में धनराशि देय हों, आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन चिट के परिसमान के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, अन्तरिम रिसीवर नियुक्त किये जाने का, अथवा चिट के सम्बन्ध में देय लेखों की वसूली के लिये फोरमैन के विरुद्ध संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में अग्रेतर कार्यवाहियों को ऐसी शर्तों पर जिन्हें विहित प्राधिकारी या न्यायालय उचित समझे, रोकने का आदेश दे सकता है ।

आवेदन-पत्र की सुनवाई पर न्यायालय की शक्तियां

४५—आवेदन की सुनवाई पर विहित प्राधिकारी या न्यायालय उसे खर्च सहित या बिना खर्च के खारिज कर सकता है अथवा सशर्त या बिना शर्त के सुनवाई स्थगित कर सकता है या अन्तरिम आदेश या कोई अन्य आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे ।

वितरण के लिये चिट आस्तियां विहित प्राधिकारी या न्यायालय में निहित होंगी

४६—चिट के परिसमापन का आदेश दिये जाने पर चिट की सम्पूर्ण अस्तियां उन अभिदाताओं में वितरण के लिये, जिन्हें चिट के सम्बन्ध में धनराशियां देय हों, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या न्यायालय में निहित हो जाएंगी और ऐसी विहित प्राधिकारी या न्यायालय रिसीवर नियुक्त करेगा तथा इस विषय में ऐसे आदेश देगा, जो वह उचित समझे ।

परिसमापन के आदेशों पर वाद आदि का रुक जाना

४७—जहां विहित प्राधिकारी या किसी न्यायालय द्वारा कोई परिसमापन आदेश दिया गया हो, वहां चिट के सम्बन्ध में अभिदाता को देय धनराशि की वसूली के लिये अभिदाता द्वारा फोरमैन के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां सिवाय विहित प्राधिकारी या न्यायालय की अनुमति से और ऐसी शर्तों पर जिन्हें विहित प्राधिकारी या न्यायालय अधिरोपित करे, न तो जारी रखी जायगी और न प्रारम्भ की जायेगी ।

आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायगी

४८—(१) परिसमापन आदेश के दिये जाने पर, परिसमापन कार्यवाहियों के याची का और रिसीवर का यह कर्त्तव्य होगा कि वे आदेश की एक प्रति, आदेश दिये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करें :

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार ऐसे याची या रिसीवर के लिखित आवेदन पर, स्वविवेकानुसार, ऐसी कोई प्रति दाखिल करने के लिये पन्द्रह दिन से अनधिक का और समय दे सकता है ।

(२) परिसमापन आदेश की प्रति दाखिल करने पर रजिस्ट्रार चिट से सम्बन्धित अपनी पुस्तिकाओं में उसके बारे में दर्ज करेगा और उसे सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा ।

फोरमैन के दिवालिया होने पर परिसमापन कार्यवाहियों का स्थगन और दिवाला विषयक् कार्यवाहियों का अन्तरण

४९—(१) जहां चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान फोरमैन दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाय अथवा जब फोरमैन कोई कम्पनी हो उस कम्पनी को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अधीन परिसमापन का आदेश दिया जाय तो इस अधिनियम के अधीन परिसमापन कार्यवाहियां समाप्त हो जायेंगी, और धारा ३६ और ४४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चिट आस्तियों का वितरण, यथास्थिति, दिवाला विषयक् न्यायालय या कम्पनी को परिसमापित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जायगा ।

(२) जहां फोरमैन के विरुद्ध दिवाला विषयक् कार्यवाहियां विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हों तो उच्च न्यायालय किन्हीं कार्यवाहियों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अन्तरित कर सकता है ।

तुच्छ या तंग करने वाले आवेदन के लिये प्रतिकर

५०—(१) जहां चिट के परिसमापन के लिये दिया गया आवेदन खारिज कर दिया जाय और विहित प्राधिकारी या न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो विहित प्राधिकारी या न्यायालय आवेदक के विरुद्ध पांच सौ रुपये से अनधिक उतनी धनराशि अधिनिर्णीत कर सकता है जिसे वह आवेदन और उसके सम्बन्ध में कार्यवाहियों के कारण फोरमैन की हुई क्षति या व्यय के लिए फोरमैन को दिया जाने वाला युक्तियुक्त प्रतिकर समझे, और ऐसी धनराशि इस प्रकार वसूल की जायगी मानो अभिनिर्णय कोई डिक्री हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर के अभिनिर्णय से प्रतिकर का कोई पृथक वाद वर्जित हो जायेगा ।

अपील करने का अधिकार

५१—(१) कोई व्यक्ति जो चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों में, विहित प्राधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के विनिश्चय या आदेश से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश के दिनांक से दो मास की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी कार्यवाहियों में विहित प्राधिकारी या न्यायालय का प्रत्येक विनिश्चय या आदेश अन्तिम होगा ।

परिसीमा

५२—(१) जहां इस अधिनियम के अधीन चिट को परिसमापित करने से इंकार करने का आदेश दिया जाय वहां अपुरस्कृत अभिदाताओं के सम्बन्ध में चिट को उक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से ऐसे आदेश के दिनांक तक निलम्बित समझा जायगा, और चिट करार में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपुरस्कृत अभिदाता को जो परिसमापन क लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को व्यतिक्रमी नहीं था, उसके खारिज किये जाने के दिनांक को व्यतिक्रमी नहीं समझा जायगा ।

(२) जहां इस अधिनियम के अधीन चिट को परिसमापित करने से इंकार करने का आदेश दिया गया हो, वहां उस वाद या आवेदन से जिसके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी या न्यायालय की अनुमति ले ली गयी है, भिन्न किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों के लिये जो लायी गई हों, या संस्थित की गयी हों, विहित परिसीमा काल की संगणना में से चिट के परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से उसे इंकार करने के आदेश के दिनांक तक की अवधि निकाल दी जायगी ।

(३) इस अधिनियम की किसी बात से ऐसी शेष धनराशि के लिये, यदि कोई हो, जो अभिदाता को चिट के परिसमापन की कार्यवाहियों में अन्तिम लाभांश घोषित किये जाने के पश्चात् देय हो, फोरमैन के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से वाद या आवेदन द्वारा कार्यवाही करने के अभिदाता के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी ऐसे वाद या आवेदन के लिये विहित परिसीमा काल की संगणना में से चिट के परिसमापन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से अन्तिम लाभांश घोषित किये जाने के दिनांक तक की अवधि निकाल दी जायगी ।

रजिस्ट्रार और लेखा-परीक्षक

५३—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा चिट रजिस्ट्रार और उतने अपर, संयुक्त, उप तथा सहायक रजिस्ट्रार जितने आवश्यक हों, नियुक्त कर सकती है ।

(२) अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो रजिस्ट्रार तदर्थ विनिर्दिष्ट करे ।

(३) रजिस्ट्रार उतने चिट लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकता है जितने इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन चिट-लेखा परीक्षकों पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों ।

(४) जहां रजिस्ट्रार की यह राय हो कि किसी चिट के लेखे उचित रूप से रखे नहीं जाते हैं और लेखों की लेखा-परीक्षा की जानी चाहिये वहां ऐसे

लेखों की किसी चिट लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा करना उसके लिये विधिपूर्ण होगा। सम्बद्ध चिट के फोरमैन का यह कर्त्तव्य होगा कि वह चिट लेखा-परीक्षक के समक्ष चिट से सम्बन्धित सभी लेखों, पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करे, उसे ऐसी सूचना दे जिसकी अपेक्षा की जाय, और उसे ऐसी सभी सहायता तथा सुविधायें दे जो आवश्यक या युक्तियुक्त हों और जिनकी चिट के लेखों की परीक्षा करने के सम्बन्ध में अपेक्षा की जाय,

(५) फोरमैन उपधारा (४) के अधीन चिट के लेखों की परीक्षा के लिये चिट लेखा-परीक्षकों को ऐसी फीस देगा जो विहित की जाय।

रजिस्ट्रार एकल निगम होगा

५४—चिट रजिस्ट्रार शाश्वत उत्तराधिकार वाला एकल निगम होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण

५५—कोई व्यक्ति ऐसी फीस देने पर जो विहित की जाय—

(१) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये किन्हीं दस्तावेजों या अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है; और

(२) ऐसे किसी दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रति या उससे उद्धरण ले सकता है।

फीस का उद्ग्रहण

५६—(१) रजिस्ट्रार को—

(क) धारा ३ के अधीन चिट की उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण,

(ख) धारा ७ के अधीन कारोबार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देने,

(ग) रजिस्ट्रार के समक्ष चिट करार और धारा १२, २२, २३, ३१ और ३४ के अधीन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दाखिल करने,

(घ) धारा ५५ के अधीन दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने,

(ङ) धारा ५५ के अधीन दस्तावेजों तथा अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां या उनसे उद्धरण लेने,

(च) फोरमैन के लेखों की लेखा-परीक्षा करने और लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र देने, तथा

(छ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किया जाए,

के लिये ऐसी फीस दी जायगी जो विहित की जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय फीस की सारणी सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी।

अपील

५७—(१) कोई फोरमैन जो रजिस्ट्रार के ऐसे आदेश से व्यथित हो जिसके द्वारा—

(क) धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन चिट की उपविधियों की रजिस्ट्री करने से इन्कार किया गया हो,

(ख) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र देने से इंकार किया गया हो,

(ग) धारा १४ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन या धारा २५ के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार किया गया हो,

(घ) धारा १४ की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन प्रतिभूति के रूप में भारित सम्पत्ति को निर्मुक्त करने से या नकद प्रतिभूति या सरकारी प्रतिभूतियों को निर्मुक्त करने का आदेश देने से इन्कार किया गया हो, या

(ङ) धारा २८ की उपधारा (१) के अधीन अन्तरण की स्वीकृति देने से इन्कार किया गया हो,

वह ऐसा आदेश सूचित किये जाने के तीन दिन के भीतर राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ सशक्त हो, अपील कर सकता है ।

(२) राज्य सरकार या यथा उपर्युक्त ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अपीलार्थी और रजिस्ट्रार अथवा उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपधारा (१) के अधीन अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे, और इस प्रकार दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कतिपय मामलों में विलम्ब को उपमर्षित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

५८—रजिस्ट्रार, स्वविवेकानुसार और धारा २२ की उपधारा (२), धारा २३ की उपधारा (२), धारा ३१ या धारा ३४ में विनिर्दिष्ट चौदह दिन की अवधि के भीतर किसी फोरमैन द्वारा लिखित आवेदन देने पर, फोरमैन को ऊपर निर्दिष्ट किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी दस्तावेज की प्रति दाखिल करने के लिए पन्द्रह दिन से अनधिक का अतिरिक्त समय दे सकता है ।

शास्तियां

५९—(१) जो कोई धारा ३, धारा ४ या धारा ७ के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(२) कोई फोरमैन जो युक्तियुक्त कारण के बिना—

(क) धारा ६ की अपेक्षानुसार चिट-करार या उसमें किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन को या धारा १२, धारा २२ की उपधारा (२), धारा २३ की उपधारा (२), धारा ३१ या धारा ३४ के अधीन किसी दस्तावेज की प्रति को उसे दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इस प्रकार दाखिल करने के लिये धारा ५८ के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर दाखिल करने में असफल रहेगा, या

(ख) धारा ८, धारा १४ की उपधारा (१) और (६), धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा २२, धारा २३, धारा २४, धारा २५, धारा २७ की उप धारा (३), धारा ३१, धारा ३७, धारा ३८, धारा ३९ और धारा ५३ की उप धारा (४) के किन्हीं उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करेगा, या

(ग) उस दिनांक, समय और स्थान के सम्बन्ध में जिस पर चिट निकाली जानी हो, चिट करार की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहेगा, तो वह कारावास से जिसकी

अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(३) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों द्वारा या उनके किन्हीं प्रयोजनों के लिये अपेक्षित किसी दस्तावेज में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(४) रजिस्ट्रार, कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी अपराध का शमन कर सकता है तथा ऐसी शमन फीस जो वह उचित समझे प्रतिगृहीत कर सकता है और तत्पश्चात् अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाहियां नहीं की जायंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रार उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं करेगा ।

अपराध का संज्ञान

६०—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

जुर्माने का उपयोग

६१—इस अधिनियम के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला न्यायालय या धारा ५९ की उपधारा (४) के अधीन किसी अपराध का शमन करने वाला रजिस्ट्रार यह निदेश दे सकता है कि वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग कार्यवाहियों के खर्चे में या उसका भुगतान करने के प्रति उपयोग किया जाय ।

किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा दस्तावेज आदि अभिगृहीत करने की शक्ति

६२—(१) रजिस्ट्रार ऐसी सहायता से जिसे वह आवश्यक समझे किसी ऐसे स्थान में जिसके बारे में उसे यह सन्देह हो कि वहां किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके चिट का संचालन किया जा रहा है या किया गया है, प्रवेश कर सकता है और ऐसी पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, लेखे या अन्य दस्तावेजों का, जो उस स्थान पर मिलें, निरीक्षण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि रजिस्ट्रार उस स्थान से कोई पुस्तिका, रजिस्टर, लेखा या दस्तावेज हटाता है तो वह उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति को रसीद देगा जिसमें इस प्रकार हटाई गई पुस्तिका, रजिस्टर, लेखा या दस्तावज का उल्लेख होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उस स्थान से पुस्तिकायें, रजिस्टरों, लेखों तथा दस्तावेजों को हटाने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार या तो ऐसे व्यक्ति से पुस्तिकाओं, रजिस्टरों, लेखों तथा दस्तावेजों को जब उसके द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करने के लिये ऐसी प्रतभूति, जिसे वह आवश्यक समझे, लेने के पश्चात् उन्हें उस व्यक्ति क जिसकी अभिरक्षा से उन्हें हटाया गया था, लौटा देगा अथवा उनका निस्तारण करने के लिये ऐसा आदेश दे सकता है जो उसे न्यायसंगत और उपयुक्त प्रतीत हों ।

(२) रजिस्ट्रार को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि उसके पास किसी चिट के सम्बन्ध में कोई सूचना है, अपने समक्ष उपस्थित होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने की अपेक्षा करने और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करने का प्राधिकार होगा ।

(३) रजिस्ट्रार किसी थाने के प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिये आवेदन कर सकता है और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी पुलिस अधिकारी को साथ चलने और सहायता देने के लिये ले जा सकता है ।

भुगतान दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित होगा

६३—किसी चिट के सम्बन्ध में सभी भुगतान , चाहे वह फोरमैन द्वारा किये जायं या अभिदाता द्वारा, लिखित रूप में दस्तावेजों द्वारा साक्ष्यित होंगे ।

बारह प्रतिशत से अधिक व्याज की अनुज्ञा नहीं दी जायगी

६४—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले दावों पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण व्याज से अधिक व्याज अधिनिर्णित नहीं करेगा ।

कतिपय मामलों में अनुतोष देने की न्यायालय की शक्ति

६५—इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात से, चिट-करार में दिये गये किन्हीं उपबन्धों के विरुद्ध कोई अनुतोष देने के लिये, यदि वे अयुक्ति संगत या किसी विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, न्यायालय में निहित शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

फोरमैन द्वारा देय धनराशियों की वसूली

६६—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी को फोरमैन द्वारा किसी फीस के रूप में देय समस्त धनराशियां भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होंगी ।

अधिनियम का लागू होना

६७—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध, अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व शुरू की गई चिटों पर इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे कि ऐसी चिटों की दशा में चिट आरम्भ या संचालित करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ से तीन मास के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे ।

(२) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी चिट पर जिसकी चिट-धनराशि, या जहां एक ही फोरमैन द्वारा एक साथ दो या उससे अधिक चिटें आरम्भ या संचालित की जाएं, तो जिनकी चिट की धनराशि का योग, एक सौ रुपये से अधिक न हो, लागू न होंगी ।

छूट देने की शक्ति

६८—राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को या ऐसी किसी चिट या किसी वर्ग की चिटों को जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, इसके सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है, और किसी ऐसी अधिसूचना को रद्द या परिष्कृत कर सकती है ।

नियम बनाने की शक्ति

६९—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था या विनियमन किया जा सकता है :—

(क) विहित किये जाने के लिये इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ततः अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय ;

(ख) वह रीति जिसके अनुसार अभिदाताओं के सामान्य निकाय की सामान्य और विशेष बैठक बुलायी जायेगी और होगी ;

(ग) वे विषय जिनके सम्बन्ध में चिट की उप विधियों में व्यवस्था की जायेगी और उप विधियां बनाने, उनकी रजिस्ट्री कराने, उनमें परिवर्तन करने और उन्हें निराकृत करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, और इस प्रकार बनाने, रजिस्ट्रीकरण कराने, परिवर्तन या निराकरण करने के पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तें ;

(घ) वे विशिष्टियां जो प्रत्येक चिट करार में दी जायेंगी ;

(ङ) धारा १४ के अधीन प्रतिभूति की प्रयोजनार्थ अनाज-चिट में रजिस्ट्रार द्वारा अनाज के मूल्यांकन का ढंग ;

(च) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और वह रीति जिसके अनुसार, धारा १४ के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई किसी प्रतिभूति में परिवर्तन या उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है ;

(छ) धारा १४ के अधीन फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिये रजिस्ट्रार द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ज) फोरमैन द्वारा रजिस्टरों और लेखा-पुस्तिकाओं का रखा जाना, रजिस्ट्रार के कार्यालय में पुस्तिकाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा और ऐसी पुस्तिकाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों को नष्ट करना जिनकी आगे आवश्यकता न रह जाय ;

(झ) अध्याय ९ क अधीन चिट के परिसमापन के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ञ) चिटों के तुलन-पत्रों और लाभ-हानि के लेखों की लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षा के प्रमाण-पत्र ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन, उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, और ६९; इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५

राज्य में जनसाधारण के हित में चिट फण्ड को विनियमित करने के लिये और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य में छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिट फण्ड अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, १९७५, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से हालात थे जिनमें इतने सारे अमेन्डमेंट्स लाने पड़े, क्या आधार था ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें आधार का क्या सवाल है ? कोई भी बिल जो अधिनियम बनाया जाता है उसका संबंध प्रदेश की ९-१० करोड़ जनता से होता है । कानून को अधिक स्वच्छ बनाने के लिये कोई भी माननीय सदस्य उससे अपने को मुक्त नहीं कर सकता है. . . . . .

श्री मोहम्मद रफी खां—

जहां तक कानून का ताल्लुक है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

इस चिट फण्ड के बारे में यदि आपको कुछ बोलना था तो आप अभी तक चुप क्यों बैठे रहे ? अब वह स्वीकृत हो चुका है । पास होने के बाद उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

**उत्तर प्रदेश कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५**

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, जब २९ तारीख को यह विधेयक पेश किया गया था तो उसके उद्देश्य और कारणों पर मैंने प्रकाश डाल दिया था। प्रवर समिति ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं। एक यह है कि "जल प्रवाह क्षेत्र" के स्थान पर "सुरक्षित क्षेत्र" रख दिया गया है। यदि कोई जल स्रोत पर निर्माण का कार्य करेगा तो उस निर्माण को हटाने का हक सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को होगा। एक यह है कि जल स्रोत में कोई व्यक्ति किसी प्रकार का रसायन, विस्फोटक अथवा इसी प्रकार के अन्य हानिकारक पदार्थ नहीं डालेगा। यदि कोई ऐसा अपराध करेगा तो वह पैनल अपराध माना जायेगा, और एक वर्ष की सजा का प्राविधान किया गया है। जुर्माना तथा अर्थदंड का भी प्राविधान है। जो पाइप लाइन जा रही है उसमें यदि कोई तोड़-फोड़ करेगा तो उसमें ५०० रुपये के अर्थ दंड का प्राविधान है और यदि कोई लगातार करेगा तो ५० रुपये प्रति दिन के हिसाब से अर्थ दंड देना होगा। इसमें सरकार ने नियम बनाने का भी अधिकार अपने हाथ में लिया है।

मान्यवर, इस विधेयक में महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक लोग कुमायूं वाटर रूल्स के मातहत पानी का इस्तेमाल करते थे किन्तु अब सरकार ने उसको अपने अधिकार में ले लिया है और अगर गांव में जल स्रोत है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के बाद जल बचता है तो दूसरे गांव वाले भी उस पानी का उपयोग कर सकेंगे। अब तक एक गांव वाले को दूसरे गांव वालों से पानी आसानी से नहीं मिल सकता था और इसके लिये उनको दीवानी अदालत की शरण लेनी पड़ती थी। इस विधेयक के बन जाने के बाद निश्चय ही दूसरे गांव के लोगों को भी पीने का पानी तथा सिंचाई और औद्योगिक कामों के लिये भी पानी मिल सकेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये हैं जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है। यदि कोई माननीय सदस्य इस पर कुछ और कहेंगे तो बाद में मैं उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा।

एक सदस्य –

मान्यवर, मैं इस पर अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

अभी तो संशोधन का स्टेज नहीं आया। लेकिन आपने जो संशोधन दिया है वह ज्ञापन पर दिया है, कैसे होगा, यह सोच लीजिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आप कृपा करके परामर्श कर लें। ज्ञापन में संशोधन निहित नहीं है। ऐसे अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बाद में रख दूंगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)––

मान्यवर, जहां तक इस बिल का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि समस्त पर्वतीय क्षेत्र की जनता उसका स्वागत करती है। अब तक होता यह था कि पूरे कुमायूं और गढ़वाल–जलस्रोतों के ऊपर अधिकार व्यक्तियों और सम्बद्ध ग्राम समुदायों में निहित था। अगर किसी गांव को पानी की जरूरत होती थी तो जिन व्यक्तियों का उस पर अधिकार होता था वे उसको नहीं ले जाने देते थे। आमतौर पर जितनी भी पेयजल योजनायें गढ़वाल और कुमायूं के अन्दर चलती थीं उनके ऊपर झगड़े होते थे और लोग अदालतों में चले जाते थे और योजना खटाई में पड़ जाती थी। हम गरीब लोगों के अनुरोध पर ही सरकार द्वारा यह बिल लाया गया है। एक बात अवश्य है प्रवर समिति में जब इस पर विचार किया गया तो उसमें जलस्रोत की जो परिभाषा है वह बहुत विस्तृत की गयी है जिसमें वर्षा का जल भी शामिल है और जो हमारे प्राइवेट तालाब या कुवें हैं, तमाम जलस्रोत परिभाषा के अन्दर आ गये हैं। क्या क्या चीज मुक्त होनी चाहिये, इस परिभाषा से, इसके बारे में बहुत विस्तार से वहां चर्चा हुई, लेकिन चूंकि प्रवर समिति के सामने समय कम था लिहाजा किन-किन चीजों पर यह कानून लागू नहीं होगा, इसका पूरा अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया। सेक्शन १६ में राज्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि इस कानून के अन्दर जिन जिन चीजों को छूट देनी है उसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार गजट के अन्दर करे।

मान्यवर, कानून को पास कर देना अच्छी बात है लेकिन वास्तविकता यह है कि धारा १६ के अन्तर्गत जो अधिकार सरकार को दिया गया है उसके अन्तर्गत अगर जल्द से जल्द कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया तो इस बिल का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। हमने बहुत सारे अधिकार इस बिल के जरिये सरकार को दे रखे हैं और सरकार से मेरा मतलब है, पहाड़ों के अन्दर पटवारियों से। अगर जल्द से जल्द इस सम्बन्ध में कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया तो गांव के पटवारी गांव वालों को सताने के लिये भी इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपा करके तमाम कुमायूं और गढ़वाल के जनप्रतिनिधियों को बुलावें, वहां की जिला परिषदों से सुझाव मंगवावें और अन्य प्रतिनिधियों से भी सुझाव मांग कर शीघ्रातिशीघ्र वह नोटिफिकेशन हो। धारा १६ में अधिकार दिया गया है कि उनका नोटिफिकेशन जारी करें ताकि कहीं ऐसा न हो कि हम तो इस सत्र के अन्दर बिल पास कर रहे हैं लेकिन प्रवर समिति के अन्दर भी सभी लोगों की तरफ से अनुरोध किया गया था कि इसको पास तो जरूर कर दिया जाय, लेकिन जो शक्ति हम सरकार को देने जा रहे हैं, उस शक्ति के आधार पर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो। और वह नोटिफिकेशन बनाने के लिये आप अगर लखनऊ में बैठने वाले अधिकारियों के ऊपर छोड़ देंगे तो वे तो वहां की परिस्थितियों के बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं और वहां के जो लोग हैं उनकी संस्तुति मांग करके इसका नोटीफिकेशन कर देने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुमायूं वाटर रूल्स १९३० में बने और कुमायूं वाटर रूल्स से पानी पर व्यक्ति विशेष का और ग्राम समूह का एक प्रकार से आधिपत्य था। यह आधिपत्य इस विधेयक के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। कुमायूं वाटर रूल्स जो थे उसमें "Dog in the manger" की जो कहावत है वह चरितार्थ होती है। यानी गरज यह कि अध्यक्ष जी अब तक अगर कोई पानी किसी व्यक्ति विशेष के पास था या ग्राम समूह या ग्राम सभा के पास था तो वह उस पानी का इस्तेमाल करते थे, केवल वही उस पानी का इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा जो पानी था वह वेस्ट होता था, बरबाद होता था। अगर किसी दूसरे गांव को पानी की जरूरत है, चाहे वह पीने के लिये हो, या सिंचाई के लिये हो या किसी और कार्य के लिये पानी की आवश्यकता हो तो दूसरे व्यक्ति या दूसरे गांव वाले उस पानी को नहीं ले सकते थे। इसीलिये शासन ने इस कुमायूं तथा गढ़वाल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था। इसमें ३ बातों पर प्रवर समित ने विचार किया। पहली बात यह है कि म्यूनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरियाज, टाउन एरियाज पर यह विधेयक लागू हो या न हो। तो प्रवर समिति ने यह निर्णय इसमें लिया कि विधेयक लागू तो होगा, लेकिन इसका अधिकार परगना अधिकारी को न देकर म्यूनिसिपैलिटीज ही उस पर निर्णय लें कि पानी को किस तरह से वितरित किया जाय।

दूसरी बात जो है, वह यह है कि कैचमेंट एरिया, जो पानी का स्त्रोत है, वह कितना हो? इसमें बहुत विचार विमर्श के बाद यह हुआ कि जितने भी नाले हैं, गधेरे हैं या खाल हैं इस प्रकार के पर्वतीय अंचल में उनके स्रोत के पास कुछ एरिया कैचमेंट एरिया के अन्दर लिया जाय, यह बात विचार विमर्श के अन्दर आयी। लेकिन इसके पश्चात् निर्णय लिया गया कि २० फुट आइदर साइड श्रोत से कैचमेंट एरिया बनाया जाय, पेड़ों को न काटा जाय, झाड़ी को न काटा जाय और सूखी घास को न काटा जाय।

अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय और मैदानी अंचलों में बड़ा फर्क होता है। अध्यक्ष महोदय, मैदानी हिस्सों में घास खुरपी से काटी जाती है लेकिन पहाड़ पर घास खुरपी से नहीं काटी जाती है बल्कि दरांती या हंसिये से निकाली जाती है। अतः घास की जड़ नहीं निकलती है। इस लिये सूखी घास काटने पर या जानवर चराने को प्रवर समिति ने मेरी समझ में, इस विधेयक से हटाया है। जहां तक बरसाती पानी की बात है इस विधेयक के अन्दर यह प्राविधान किया गया था कि छोटे छोटे पोखर या जो खाल हैं इन पर भी नियंत्रण आता है। प्रवर समिति ने विचार किया और मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि कुछ खाल पोखरे इस तरह के जो निजी लोग बनाते हैं उनको इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक जहां तक मैं समझता हूं कि कुमायूं और गढ़वाल के हित में हैं और तमाम कुमायूं और गढ़वाल के लोगों ने इसका स्वागत किया है। इसके अलावा जितनी भी हमारी योजनायें हैं चाहे वह एल० एस० जी० ई० डी० द्वारा चलायी जा रही हैं या व्यक्ति विशेष द्वारा बनायी जा रही हैं या क्षेत्र समितियों द्वारा बनायी जा रहीं हैं, चाहे वह पेयजल योजनाय हैं या सिंचाई योजनायें हैं, जो आज तक पड़ी हुयीं थीं, ५-१० साल से या मुकदमें चल रहे थे, योजनायें खटाई में पड़ी हुई हैं उनका इससे निस्तारण होगा। इस प्रकार एक बहुत बड़ी समस्या जो मुंह बाये खड़ी थी वह समाप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो कुमायूं तथा गढ़वाल के सम्बन्ध मे विधेयक, संशोधित रूप में, प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस तरह का विधेयक आये, यह बहुत वर्षों से पर्वतीय अंचल के लोगों की मांग थी। कारण यह था कि जो जल उपयोग में नहीं आता था और उस जल को कुछ व्यक्ति ले जाने से रोकते थे, जिससे समुचित रूप से जल का वितरण नहीं हो पाता था, और वह बेकार बहता था। इस-लिये इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि इससे जल वितरण की व्यवस्था और लोगों में जो आज पानी का अभाव है उसको दूर करने का इससे प्रयास किया जायेगा।

यही नहीं दूसरी चीज भी रखी गयी है कि नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों की स्वतंत्रता को बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है। दूसरी ओर इन शक्तियों को विभिन्न प्रकार के निगमों को हस्तान्तरित करने का अधिकार भी दिया गया है। इस प्रकार एक ओर यह भी प्रयास किया गया है कि जो लोग आज तक पानी का उपयोग करते थे उनको प्राथमिकता दी जाय और दूसरी ओर जो अतिरिक्त जल है उसको, जिनको जल की आवश्यकता है, उनको दिया जाय। इस तरह से समाजवादी समाज के निर्माण की ओर यह बढ़ता कदम है जिससे लाखों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

मान्यवर, एक बात मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा नेमी जी ने कहा कि कहीं-कहीं पर चूंकि सरकार को बहुत अधिकार दिये गये हैं तो उसका उपयोग केवल लखनऊ में बैठकर न हो। जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह जिला परिषद् के अध्यक्ष हों या चुने हुये व्यक्ति विधान सभा के हों, उनकी राय लेकर इन नियमों और उप नियमों को बनाया जाय तो अधिक लाभ होगा। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि कई ऐसी बातें होती हैं जो भौगोलिक दृष्टि से या रीति रिवाज से उनको समझने की जरूरत होती है। इसलिये नियमों को बनाते समय ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे अधिक लाभ जनता को हो। इस प्रकार मैं समझता हूं कि पेय जल की सुविधा ही नहीं सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी और इससे अन्न उत्पादन में बृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय नेगी जी को यह शंका है कि इस विधेयक में सरकार को नियम बनाने के जो अधिकार दिये जा रहे हैं शायद उसमें जन प्रतिनिधियों से परामर्श न हो। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो प्राविधान नियम बनाने का है उसके मुताबिक निश्चय ही गढ़वाल और कुमायूं के जन प्रतिनिधियों से और जो लोग इसमें परामर्श देना चाहेंगे उनसे परामर्श लेकर ही नियम जल्दी से जल्दी बनायेंगे और उनका प्रसारण करेंगे। यह ठीक है जो लोग जल स्रोत पर अपना अधिकार समझते थे वह इससे समाप्त हो जायगा। हां, यह अवश्य है कि प्राथमिकता जल स्रोत वालों को मिलेगी और उनसे जो पानी बचेगा वह दूसरे गांव वाले भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो पानी के बिना दुःखी रहते थे अब इससे उनका यह दुख समाप्त हो जायगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खंड २ से २३, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक**

**कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५**

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। प्रवर समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है और बढ़ाया गया विषय अधोरेखांकित है)

मानव तथा पशु उपयोग, सिंचाई और औद्योगिक विकास के प्रयोजनार्थ जल के युक्ति संगत वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों के पर्वतीय भू-भागों में जल स्रोत को लोक-हित में विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिये

**विधेयक**

(भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है) :—

**संक्षिप्त नाम तथा विस्तार**

१—(१) यह अधिनियम कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार नैनीताल जिले के काशीपुर भाबर [तथा तराई], रुद्रपुर तथा खटीमा सब-डिवीजनों और गढ़वाल डिवीजन के कोटद्वार भाबर क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजन में होगा।

**परिभाषाएं**

२—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) ['जलवाह क्षेत्र'] 'संरक्षित क्षेत्र' का तात्पर्य धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन इस रूप में सीमांकित क्षेत्र से है;

(ख) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ग) 'जल' का तात्पर्य नदी, प्राकृतिक जल प्रणाली से बहने वाला सोता, प्राकृतिक झील तथा तालाब या जलाशय के जल से है और इसके अन्तर्गत वर्षा-जल भी है;

(घ) "जल-स्रोत" का तात्पर्य भूमिगत सोते से अपने आप निकलने वाले जल, जल प्रणाली तथा नदी, झील, तालाब, जलाशय और स्थिर जल के संग्रह से है जिसके अन्तर्गत वर्षा-जल भी है ;

(ङ) "जल प्रणाली" का तात्पर्य मानव या पशु उपभोग, सिंचाई या उद्योग के जिसके अन्तर्गत पनचक्कियों को चलाना भी है, प्रयोजनार्थ जल ले जाने के लिए प्रयुक्त जल प्रणाली से है ;

**जल के उपभोग के अधिकार का समाप्त किया जाना**

३—१५ जुलाई, १९७५ को और इस दिनांक से, जिन क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार हो उनमें जल के उपभोग के सभी वर्तमान अधिकार, (चाहे वे रुढ़िगत हों या अन्यथा और चाहे वे किसी व्यक्ति में निहित हों या ग्राम समुदाय में) यदि कोई हों, समाप्त हो जायेंगे ।

**जल तथा जल स्रोतों को विनियमित तथा नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति**

४—(१) राज्य सरकार को—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा जल तथा जल स्रोतों के संग्रह, संचय तथा वितरण को विनियमित तथा नियन्त्रित करने ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, जल स्रोतों के [वाह्य क्षेत्र] संरक्षण के लिये क्षेत्रों को सीमांकित करने और उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करने ; और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन की गई किसी घोषणा को संशोधित या रद्द करने, की शक्ति होगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य सरकार उन व्यक्तियों तथा ग्राम समुदायों को अधिमानता दे सकती है जिनके जल के उपभोग करने का अधिकार धारा ३ के अधीन समाप्त कर दिया गया हो।

[(३) यदि उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन कोई क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया हो तो, जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहे, कोई व्यक्ति परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर (जिसे आगे परगना अधिकारी कहा गया है) की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र से किसी वृक्ष या उसके भाग को न तो काटेगा, न गिरायेगा और न हटायेगा।]

**जल प्रणाली आदि का निर्माण करने की शक्ति**

५—(१) राज्य सरकार को किसी व्यक्ति की या उसके द्वारा धृत भूमि में या उसके ऊपर या उसके बीच से किसी जल प्रणाली, तालाब या जलाशय का निर्माण करने, या कोई पम्पिंग मशीन बैठाने या कोई पाइप लाइन बिछाने की शक्ति होगी। किन्तु इससे यह नहीं समझा जायगा कि उसने ऐसी भूमि में उक्त प्रयोजन के लिये उपभोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित किया है।

(२) उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में राज्य सरकार भूमि को यथासम्भव कम से कम क्षति पहुंचायेगी, और यदि उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी कार्य के दौरान सम्पूर्ण भूमि या उसका भाग उस प्रयोजन के अनुपयुक्त हो जाय जिसके लिये उसका उपयोग उक्त कार्य प्रारम्भ करने के ठीक पूर्व किया जा रहा था तो भूमि में हितबद्ध व्यक्ति [ऐसी दर पर] भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे [जो विहित की जाय।]

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति की भूमि में या उसके बीच से केवल कोई पाइप लाइन बिछाने या ले जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर देय न होगा, यदि ऐसी पाइप लाइन भूमि के सतह से दो फीट से कम नीचे न बिछाई गई हो ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को तब तक प्रारम्भ किये जाने या जारी रखने का प्रतिषेध करती है जब तक कि इस उपधारा के अधीन प्रतिकर का भुगतान न कर दिया जाय।

(३) [हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर] उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रतिकर की धनराशि परगना अधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।

(४) परगना अधिकारी के उपधारा (३) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने वाले आदेश से व्यथित कोई पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से ३० दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है और जिला न्यायाधीश उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिये सौंप सकता है, और उसके किसी अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है, और ऐसी अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

(५) उपधारा (४) में किसी बात के होते हुये भी, परगना अधिकारी द्वारा, उपधारा (३) के अधीन अवधारित किये गये प्रतिकर का भुगतान, अपील के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र किया जायगा।

निर्माण आदि पर निबन्धन

६—कोई भी व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, १९७५ के अधीन स्थापित कोई जल संस्थान न हो, परगना अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी जल स्रोत से जल सम्भरण प्राप्त करने के आशय से किसी जल-प्रणाली, तालाब, जलाशय अथवा पनचक्की का न तो निर्माण करेगा, न निर्माण करायेगा, न कोई पम्पिंग मशीन बैठायेगा न बिठवायेगा और न कोई पाइप लाइन बिछायेगा और न बिछवायेगा।

जलवाह क्षेत्र में वृक्ष आदि काटने के विरुद्ध प्रतिषेध

७—कोई भी व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, १९७५ के अधीन स्थापित कोई जल संस्थान न हो, परगना अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना [जल स्रोतों के जलवाह] क्षेत्र में किसी वृक्ष, झाड़ी, गुल्म, को नहीं काटेगा [या नई खेती प्रारम्भ नहीं करेगा या भूमि की वनस्पति को किसी प्रकार नष्ट नहीं करेगा] या सूखी घास को नहीं जलायेगा [या पशुओं को नहीं चरायेगा]:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संरक्षित क्षेत्र में समाविष्ट किसी नाप भूमि के सम्बन्ध में, इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों झाड़ियों और गुल्मों का अभिदेश निकाल दिया गया हो।

अनुज्ञा देना

८—(१) कोई भी व्यक्ति धारा ६ में उल्लिखित वस्तुओं का निर्माण करने, उन्हें लगाने अथवा बिछाने की या धारा ७ में उल्लिखित कार्य करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये परगना अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर परगना अधिकारी जांच करेगा और वह जनहित में आवेदित अनुज्ञा दे सकता है अथवा उसे देने से इन्कार कर सकता है, और यदि इस प्रकार अनुज्ञा दी जाय तो परगना अधिकारी ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जिन्हें वह न्याय-संगत या उचित समझे।

(३) उपधारा (२) के अधीन परगना अधिकारी का आदेश, धारा ११ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

अनुज्ञा या प्रति-संहरण

९—(१) धारा ८ के अधीन अथवा कुमायूं वाटर रूल्स, १९३० के अधीन दी गयी तथा धारा १८ के आधार पर प्रवर्तनशील किसी अनुज्ञा को परगना अधिकारी प्रतिसंहृत कर सकता है यदि सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा को नियन्त्रित करने वाली किसी शर्त को भंग करता है, अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी उपबन्ध का अन्यथा उल्लंघन करता है।

(२) परगना अधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय।

(३) उपधारा (१) के अधीन परगना अधिकारी का प्रत्येक आदेश, धारा ११ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

अप्राधिकृत कार्य का हटाया जाना

१०—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्ध के उल्लंघन में किसी जल प्रणाली, तालाब, जलाशय या पनचक्की का निर्माण किया गया है, या किया जा रहा है, अथवा कोई पम्पिंग मशीन लगाई गयी है या लगाई जा रही है, अथवा कोई पाइप लाइन बिछाई गयी है या बिछाई जा रही है तो परगना अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को नोटिस देने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे यह अपेक्षा कर सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, यथास्थिति, उसे हटा दे या रोक दे या भूमि को उसकी पूर्व स्थिति में ला दे।

(२) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (१) के अधीन आदेश दिया जाता है उसका अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न करे तो परगना अधिकारी उस आदेश के अनुसार किसी कार्य को उस व्यक्ति के खर्च पर करा सकता है और ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन परगना अधिकारी का प्रत्येक आदेश, धारा ११ के अधीन अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(४) उपधारा (२) के अधीन किया गया कोई खर्च, परगना अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, उसमें उल्लिखित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा।

अपील

११—धारा ८ या धारा ९ या धारा १० के अधीन परगना अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, कलेक्टर के समक्ष विहित रीति से अपील कर सकता है, और अपील पर कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा।

विभिन्न प्राधिकारियों की शक्ति और उनके द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया

१२—(१) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी विवाद का निपटारा करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनार्थ परगना अधिकारी [और], कलेक्टर और जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् —

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना तथा उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका बयान परीक्षण करना ;

(ख) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ग) कोई स्थानीय निरीक्षण करना या साक्षियों का परीक्षण या स्थानीय अन्वेषण करने के लिये कमीशन जारी करना ;

(घ) दस्तावेजों का पता लगाने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ङ) किसी पक्षकार को तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुये खर्चा या विशेष खर्चा दिलाना या किसी पक्षकार से खर्चे के लिये प्रतिभूति देने की अपेक्षा करना ;

(च) कोई विधिमान्य करार या समझौता अभिलिखित करना तथा उसके अनुसार कोई आदेश देना ;

(छ) किसी त्रुटि के लिये कोई आवेदन-पत्र या अपील खारिज करना और पर्याप्त कारणों से उसे पर्यावर्तित करना ;

(ज) किसी मामले को एक पक्षीय निर्णीत करना तथा एक पक्षीय दिये गये किसी आदेश को, पर्याप्त कारणों से, अपास्त करना ;

(झ) किसी आवेदन-पत्र, आपत्ति या अपील के ज्ञापन में संशोधन की अनुज्ञा देना ;

(ञ) अस्थायी व्यादेश, प्रतिषेधात्मक तथा आज्ञापक, दोनों जारी करना ;

(ट) किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की दशा में विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करना ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(२) उपधारा (१) के उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, परगना अधिकारी या कलेक्टर या जिला न्यायाधीश को न्याय के प्रयोजनार्थ या इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार के किसी आदेशिका के दुरुपयोग के निवारणार्थ कोई आदेश देने की शक्ति होगी।

परिसीमन अधिनियम, १९६३ का लागू होना

१३—परिसीमन अधिनियम, १९६३, की धारा ४, ५ तथा १२ के उपबन्ध, जहां तक वे प्रयोज्य हों, इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

शास्ति

[१४—(१) किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है या ऐसा उल्लंघन करने का प्रयास या दुष्प्रेषण करता है, सिद्ध दोष होने पर पांच सौ रुपये से अनधिक का जुर्माना किया जायेगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहे पच्चीस रुपये से अनधिक का जुर्माना किया जायगा।

(२) इस धारा के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय होंगे।]

नगरपालिका बोर्डों और नोटीफाइड एरिया कमेटियों के अधिकारों और शक्ति के सम्बन्ध में अपवाद

१४—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथापरिभाषित किसी नगरपालिका या नोटीफाइड एरिया या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ में यथापरिभाषित किसी टाउन एरिया के सीमान्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित परिष्कारों के अधीन रखते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ६, ८ और ९ के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों शब्द "परगना अधिकारी" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी" रखे गये हों ;

(ख) धारा ११ इस प्रकार प्रभावी होगी मानो शब्द "धारा ८ या धारा ९ या" निकाल दिये गये हों ;

(ग) किसी जल स्रोत या जल प्रणाली पर, चाहे वह नगरपालिका या नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमा के भीतर या बाहर स्थित हो, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नगरपालिका बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के कब्जे में हो, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् नगरपालिका बोर्ड या नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी को नगरपालिका या नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमा के बाहर किसी नये जल स्रोत या किसी नई जल प्रणाली की आवश्यकता हो, तो वह केवल राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही, ऐसे जलस्रोत से जल-सम्भरण प्राप्त कर सकती है या ऐसी सीमा के बाहर कोई ऐसी जल-प्रणाली, तालाब या जलाशय का निर्माण कर या करा सकती है या कोई पम्पिंग मशीन बिठाया बिठवा सकती है या कोई पाइप लाइन बिछा या बिछवा सकती है।

जल स्रोत में क्षतिकर पदार्थों के उपयोग का प्रतिषेध

१५—कोई व्यक्ति किसी जलस्रोत में रसायन, विस्फोटक द्रव्य या किसी ऐसे अन्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा जिससे मछली या अन्य जलीय प्राणी को क्षति पहुंचे या संकट हो जाय।

छूट देने की शक्ति

१६—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो विनिर्दिष्ट की जायं, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के सम्बन्ध में या ऐसे वर्ग के तालाब या जलाशय या स्थिर जल के संग्रह के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत वर्षा-जल भी है, जो विनिर्दिष्ट किया जाय, छूट दे

सकती है, और राज्य सरकार पश्चात्वर्ती, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी छूट को वापस ले सकती है या उसमें कोई परिष्कार कर सकती है।

प्रतिनिहित करने की शक्ति

१७—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अध्यादेश, १९७५ के अधीन गठित निगम या जल संस्थान, या कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम नामक कम्पनी को अपनी कोई शक्ति (धारा २१ के अधीन शक्ति को छोड़कर) प्रतिनिहित कर सकती है।

शास्तियां

१८—(१) जो कोई, बिना उचित प्राधिकार के और स्वेच्छा से निम्नलिखित कोई कार्य करता है, अर्थात्—

(क) किसी भी जल स्रोत से प्राप्त जल सम्भरण में या ऐसे जल स्रोत में, या उसके माध्यम से या उसके ऊपर या उसके नीचे से होने वाले जल-प्रवाह में कोई क्षति पहुंचाता है, परिवर्तन करता है, रुकावट या बाधा डालता है, या ऐसे जल सम्भरण या उसके प्रवाह को बढ़ाता है या उसे कम करता है ;

(ख) किसी जल प्रणाली, तालाब या जलाशय या किसी पम्पिंग मशीन या पाइप लाइन से, उसके द्वारा उसके ऊपर या नीचे से होने वाले जल प्रवाह को, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले से विद्यमान हो या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार या किसी नगरपालिका बोर्ड या टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी या जल संस्थान द्वारा या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा या परगना अधिकारी की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया हो, बैठाया या बिछाया गया हो, हस्तक्षेप करता है या परिवर्तित करता है ;

(ग) धारा १५ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ;

(२) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य उपबन्ध या उसके अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहे, पच्चीस रुपये से अनधिक का जुर्माना किया जायगा।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्ध उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट अपराधों के प्रयास या दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

(४) उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय होंगे।

कम्पनियों द्वारा अपराध

[१५] १९—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध को करने के समय उस कम्पनी का प्रभारी और उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने के निवारण करने के लिये सभी सम्यक् प्रयास किया था।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के सम्मति या मौनानुमति से किया गया या उपेक्षाजनित है तो कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव और कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दन्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—

इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

कार्य का संरक्षण

[१६] २०—इस अधिनियम के अधीन किये जाने या दिये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्यवाही या आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी, और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

[१७] २१—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये लिए नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

कुमायूं वाटर सप्लाई रूल्स, १९३० का जारी रहना

[१८] २२—कुमायूं वाटर सप्लाई, रूल्स, १९३०, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्ध से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वे तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि धारा १७ द्वारा प्रदत्त या उसके अधीन शक्तियों का प्रयोग करके बनाये गये नियमों द्वारा उनको परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दिया जाय।

निरसन तथा अपवाद

[१९] २३—(१) कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अध्यादेश, १९७५, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानों यह अधिनियम १५ जुलाई, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था। उ०प्र० अध्यादेश सं० १५, १९७५

श्री अध्यक्ष—

खंडों में कोई संशोधन नहीं है अतः

प्रश्न यह है कि यथा संशोधित खंड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं प्रस्तावित करता हूं कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ के ऐसे उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन पत्र जिसमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है, में ४—(१) (क) के पश्चात् ४ (१) (ख) निम्न प्रकार जोड़ दिया जाय : "४—(१) (ख) राज्य सरकार को नियमों द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण के लिये क्षेत्रों को सीमांकित करने, उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति दी जा रही है।"

श्री अध्यक्ष—

ज्ञापन में संशोधन नहीं हो सकता। यह संशोधन अनियमित है, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

प्रश्न यह है कि यथासंशोधित खंड २ से २३ और खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ यथा संशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## १९६८-६९ की बढ़ती व्यय की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—निर्वाचन

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—निर्वाचन के अन्तर्गत १०,४९,०८४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—निर्वाचन के अन्तर्गत १०,४९,०८४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

### अनुदान संख्या ११—आयुक्त एवं जिला प्रशासन

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्तर्गत १५,८६,७१२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्तर्गत १५,८६,७१२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

### अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,४०,५३,२७८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,४०,५३,२७८ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

### अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत २८,०३,३९८ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत २८,०३,३९८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जान वाले सिंचाई के निर्माण कार्य**

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २८,९८,४२१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत २८,९८,४२१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें**

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ८,८५,५७६ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ८,८५,५७६ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ४५—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय**

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,९०,०८,५९५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,९०,०८,५९५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ४७—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय**

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १३,१९,९१,२९८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७---बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय, के अन्तर्गत १३,१९,९१,२९८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ४८---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय**

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,७२,४२,७७१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,७२,४२,७७१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५**

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मन्त्री जी ने १९६८-६९ के एक्सट्रा खर्चे के सम्बन्ध में जो विधेयक अभी प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री वित्तीय मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं और रूल्स तथा रेगुलेशन्स की उनको बहुत अच्छी जानकारी है। हम लोगों के नेता भी वह सौभाग्य से रह चुके हैं और उस समय फायनेन्शियल जितने मामले आते थे उन पर हम लोगों की तरफ से वह मेन वक्ता होते थे क्योंकि वह उस समय अपोजीशन के डिप्टी लीडर आफ दी हाउस थे। लेकिन आज उन्हीं की

[श्री ऊदल]

रहनुमाई में अनियमित तरीके से जो एक्सट्रा खर्चा १९६८–६९ में हुआ था उसे विधेयक के रूप में मान्यता दी जा रही है। कभी उसके ऊपर नियन्त्रण आज तक नहीं हो पाया है। अभी माननीय सिंचाई मन्त्री करोड़ों रुपये का बजट पेश कर दिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में एक नारायणपुर पम्प कैनाल है, दो वर्ष से ५० हजार टन सीमेन्ट वहां गोदाम में पड़ी हुई है और आप जानते हैं कि एक साल उस पर बारिश की हवा लग जाय तो सारी सीमेन्ट पत्थर हो जाती है। हमारे एक साथी मुजफ्फरनगर से आये थे। उन्होंने लिखकर दिया है कि उस सम्बन्ध में कोई काम नहीं हुआ है। ३० हजार टन सीमेन्ट वहां पर एलाट की गई, ट्यूबवेल विभाग के लिये। जमानिया लिफ्ट कैनाल का बार्ज डूब गया। वह लिफ्ट कैनाल है जितने का बार्ज था उसे कई गुना निकालने में खर्च किया गया। अगर आप देखें तो पायेंगे कि किस तरह से फर्जी काम हो रहे हैं। एक जगह अभी २८ लाख रुपया मोटर के स्पेयर पार्ट्स के लिये खर्चा किया गया जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है, अनियमित है और अमर्यादित है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ठीक तरह से उसकी चेकिंग नहीं करता है। माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि हमारे जिले में २८ लाख का फर्जी चेक काट कर बैंक से लेकर मार दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिये। जब फाइनेन्श डिपार्टमेन्ट से पूछा जाता है तो वह सब व्यक्त करता है।

माननीय मन्त्री जी जिस तरह से हम लोगों को अपनी मधुर वाणी से प्रभावित कर लेते हैं उसी तरह से कम से कम वित्त विभाग को, जिनको आप करोड़ों-करोड़ों रुपये देते हैं, उन्हें भी प्रभावित करें। गांवों में लोग ट्यूबवेल के लिये तरस रहे हैं। एक भी एलाटमेन्ट नहीं किया गया है। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि सरकार के डिपार्टमेन्ट, सरकार के अधिकारी, अनियमित तरीके से खर्च कर रहे हैं, मनमाने तरीके से फर्जी बिल-वाउचर बनाकर लाखों रुपया मार रहे हैं, इसे आप चेक करें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, न हमको अधिकार है कि हम जांच पड़ताल करें। हम सिर्फ शिकायत ही कर सकते हैं और मन्त्री जी को लिख देते हैं। जब उनकी समझ में आ जाता है तो उसकी जांच पड़ताल हो जाती है। इसलिये मुझे माननीय वित्त मन्त्री से कहना पड़ा कि आज हम संकट में हैं, प्रदेश संकट में है और ऐसे समय में एक-एक पैसे की कीमत होती है।

अभी पिछले साल आपने देखा कि कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया कि ट्रान्सफर नहीं होंगे अलावा उनके जो प्रशासनिक दृष्टि से अति आवश्यक होंगे या जिनके सम्बन्ध में शिकायतें होंगी। जब हम माननीय मन्त्री जी के यहां पहुंचते हैं तो वे एक पन्ना हमें दिखा देते हैं और कभी-कभी हम लोगों को दे देते हैं। मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे कि कैबिनेट के इस डिसीजन के बाद भी हजारों की संख्या में ट्रान्सफर हुये। मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारी जानकारी में यह है कि प्रशासनिक और शिकायतों के अलावा इस साल हजारों म ट्रांसफर हुए हैं। मैं डिपार्टमेंट का नाम ले सकता हूं मैं आप से कहना चाहता हूं कि कम से कम १० करोड़ रुपया श्रीमन्, इस संकट के वक्त टी० ए० और डी० ए० के रूप में दिया गया है।

मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी से कि इस संकट के समय में एक-एक पैसा जो आप जनता से वसूल कर रहे हैं इसका ध्यान रखें। लैन्ड रेवेन्यू और दूसरे टैक्स बढ़ा दिये गये हैं। जब हमारी पोजीशन यह है कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते हैं तो फिर किस तरह से हजारों ट्रान्सफर बिना वजह के प्रत्येक विभाग में किये गये। मैं एग्रीकल्चर विभाग का नाम लेता तथा शिक्षा विभाग का नाम लेता कि किस तरह के लोगों के ट्रान्सफर हुए। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा था जिसमें पिछले साल के पत्र का भी हवाला दिया था कि आप बतायें कि कितना रुपया इन अनावश्यक ट्रान्सफर में इस संकट की घड़ी में खर्च किया गया और क्यों किया गया? करोड़ों रुपया हमारे खजाने से हमारी गाढ़ी कमाई का, क्यों टी० ए०, डी० ए० और एडवान्स में दिया गया? अभी उनका जवाब नहीं आया। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी इस मामले में छानबीन करें और श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी करायें कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर ट्रान्सफर हुए और उनके टी० ए०, डी० ए० में बरबाद किया गया।

आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि वित्त के मामले में वित्त विभाग का कन्ट्रोल करने का काम है, वित्त मंत्रालय का काम है। क्यों इस प्रकार से कंट्रोल नहीं किया गया और क्यों छुट्टा अधिकारियों को छोड़ दिया गया ? क्यों इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होता रहा ? अब उसे रेगुलेट करने के लिये माननीय वित्त मन्त्री जो पेश कर रहे हैं और इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करके वह रेगुलेट कर रहे हैं। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं सरकार और वित्त मन्त्री का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे बड़ा दुख है कि इस संकट की घड़ी में करोड़ों रुपया इस साल ट्रान्सफर के ऊपर बरबाद किया गया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९) विधेयक, १९७५ पर कुछ कहने का मौका दिया। यह मान्यवर, १९६८-६९ में जो बजट पारित किया गया उससे ३१,५७,९१,९६५ रुपये अधिक व्यय हुआ। यह घटना मान्यवर, ६ साल पहले की है और जब वह अतिरिक्त व्यय हुआ उस समय भी कोई सरकार यहां होगी और उस सरकार को परामर्श देने के लिये अधिकारी भी होंगे जिसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि यह जो अतिरिक्त व्यय हुआ यह किस की अनुमति से हुआ। क्या किसी का ध्यान इसके लिये नहीं गया, अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया ? क्या उस समय जो सरकार थी वह कोई उच्छृंखल थी जिस पर कोई अंकुश नहीं था, यदि नहीं था, तो क्यों नहीं था ?

मान्यवर, आज जो हमारे सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें जो धनराशि हमसे मांगी जा रही है उसके लिये यह कहा गया है कि यह धनराशि उस समय खर्च हुई समझी जायेगी। यानी उस समय जो धन व्यय किया गया उसको आज हम पूरा करेंगे और वह नियमानुसार व्यय किया हुआ माना जायेगा। मैं यह समझता हूं कि इसका विवेचन होना चाहिये और जो सरकार या व्यक्ति इसके लिये दोषी हैं उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। हम देखते हैं कि जब विरोधी दल के नेता यहां बैठे थे और बजट के समय थोड़ी सी इकोनोमी लाने की बात हुई तो उन्होंने एक प्रश्न इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। जब बजट पर विचार हो उस समय इकोनामी की बात की जाय। उस समय इकोनोमी को लाने की बात हो तो जो इस प्रदेश के हित में हो तो मैं समझता हूं, कि उस एकोनामी की बात जो बजट के समय की जा रही थी, उसमें मितव्ययिता लाने की बात थी।

आज जो यहां प्रस्तुत है, उसमें भी कोई बजट स्वीकृत किया गया है और उससे ३१ करोड़ रुपया ज्यादा धनराशि खर्च की गई है, किन्तु उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हुआ। वित्त मंत्री इसे अच्छी तरह जानते होंगे और मुझे पूरी आशा है कि जब वह बोलेंगे तो उससे सदन को अवगत करायेंगे। मैं नहीं समझता कि स्थिति क्या है और क्या यह परम्परा अब भी चालू है कि यह सदन और इस प्रदेश की जनता बराबर इस धोखे में रहती है कि जो बजट पास किया गया है सरकार को उतनी ही धनराशि खर्च करने का अधिकार है, या उससे भी ज्यादा खर्च करके ५-६ साल बाद भी उसे इस सदन से पारित करा सकती है ? यह ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर अवश्य विचार किया जाये और सदन के भ्रम को दूर किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके वक्तव्य से यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, किन्तु चूंकि इसमें वित्त विनिमय का प्रश्न है और जनता के धन का प्रश्न है, इसलिये कुछ सुझाव भी

[श्री अम्बिका प्रसाद सिंह]

देना चाहता हूं। सरकार को चाहिये कि उसका जो खर्चा बढ़ रहा है, वह उस पर कुछ नियन्त्रण करे। आज मैं देखता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में ५२ डिवीजन हैं और हर डिवीजन पर ५० हजार रुपया मासिक खर्च हो रहा है लेकिन वहां एक पैसे का काम नहीं है। इसी तरह से रूरल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने प्रदेश में है, प्रत्येक जिले में इसके आफिस हैं और इनमें प्रत्येक पर १५ से २० हजार रुपया मासिक खर्च हो रहा है, लेकिन एक पैसे का भी काम वहां नहीं हो रहा है। इस अंधाधुन्ध खर्च को देखकर मुझे अपने जिले की एक घटना, जो अंग्रेजों के समय की है, याद आती है।

एक ताल्लुकेदार के पास बहुत से नौकर थे, किन्तु काम कुछ नहीं था। उनकी मालगुजारी रुक गई तो अंग्रेज कलेक्टर उनके घर पर गया और कहा कि आप इस स्थिति में इन बेमतलब के नौकरों को बरखास्त कर दें। ताल्लुकेदार बहुत अच्छे और दयालु आदमी थे, वह कहने लगे मैं इनको बरखास्त तो करना चाहता हूं, लेकिन ये बरखास्त ही नहीं होते हैं। तो कहीं आपकी दशा भी ताल्लुकेदार जैसी ही न हो और खर्च वैसे ही चलता रहे। मैं सदन को सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें कुछ सामंजस्य लाया जाये।

इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट में विगत वर्ष में आवश्यकता हुई तो बिहार वगैरह से इन्जीनियर लाकर भर दिये गये, लेकिन कोई काम नहीं है, अब प्रदेश में नये निकले इन्जीनियर बेकार हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में दूसरे प्रदेशों से डाक्टर ला लाकर भर दिये जा रहे हैं, लेकिन अगले साल यहां भी प्रदेश में नये पैदा हुये डाक्टर बेकार हो जायेंगे, उनके लिये हम कोई काम नहीं दे सकेंगे। खर्च आपको देखना होगा और कोई न कोई नियन्त्रण रखना पड़ेगा। इमरजेन्सी का असर चाहे जिस डिपार्टमेंट पर आया हो, लेकिन रोडवेज में जरा भी नहीं आया है, वहां पर बड़ी धांधली है। वहां के नये-नये पार्ट्स चोरी में बेचे जाते हैं और गाड़ियां गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंचती हैं। आप इसको नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हम इमरजेंसी में तड़प रहे हैं। चाहता हूं कि सब काम ठीक हो जाए, किन्तु ये सारी स्थिति देखकर असहाय हो जाता हूं, हृदय तड़फ उठता है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपका निर्णय है कि जो कर्मचारी खराब हैं या जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उन्हें रिटायर किया जायगा, इन्जीनियरिंग विभाग में जो ऐसे लोग हैं उन्हें रिटायर किया जाये, और काफी तादाद में वहां रिटायर होने वाले लोग हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा शायद ही किसी ने गड़बड़ी की होगी, किन्तु इसके अलावा पी० डब्ल्यू० डी० और रूरल इंजीनियरिंग विभाग में जो फालतू और बेकार लोग हैं उनसे दूसरी जगह पूरा-पूरा काम लिया जाये। ये विभाग जितने हैं, उनमें परस्पर सन्तुलन बनाया जाये कि कहां किसकी जरूरत है। और उसमें किसको कहां एडजेस्ट किया जाय। इन्हीं चन्द सुझावों को देकर आज जब समय आया है कि किफायतशारी की जाय तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और जो धन का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ माननीय वित्त मन्त्री और उनके सहयोगियों को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह ३१ करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है। मेरा ऐसा अन्दाज है कि शायद इस सदन में जब से वित्त मन्त्री जी वित्त मन्त्री हैं पहला ही अवसर होगा कि १९६८-६९ का इतना बड़ा जो भी बकाया है, जो अनियमित खर्चा हुआ है उसको नियमित करार देने के लिये सदन में रखा गया है। वह अपने भाषण में बतायेंगे कि कोई और मौका आया या नहीं। लेकिन मैं उनसे और निवेदन करना चाहता हूं, आज शायद न बता सकें तो फिर किसी अवसर पर बतायें कि ३१ करोड़ रुपये जो खर्च हुये हैं यह किन कारणों से खर्च हुये हैं? जो आपने बजट

स्वीकृत किया था, उसमें बढ़ कर खर्च हुये हैं या अपने मन से अधिकारियों ने अधिक खर्च कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

वित्त विभाग बड़ा पेचीदा विभाग है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

इसीलिये उनसे निवेदन कर रहा हूं आज।

श्री अध्यक्ष—

और कई दफा अवित्तीय भी साबित होता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

इस पर वह विचार करें। साथ ही सिंचाई विभाग में सबसे ज्यादा खर्च हुआ जो माननीय मन्त्री सिंचाई विभाग को संभालते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कुछ कठोरता का बरताव करें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उनके विभाग में क्या जो आपातकालीन स्थिति है क्या उसका प्रभाव उनके विभाग पर है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो पुराना है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

नया नहीं कह रहा हूं। पुराना ही कह रहा हूं। ४० नलकूप ऐसे हैं जो १० हजार, पांच हजार, दो हजार रुपये न रहने के कारण बिगड़े पड़े हैं। सरकार का पैसा उन पर खर्च हुआ है लेकिन वह सब बेकार हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा। आपको याद होगा इलाहाबाद में वित्तीय लेखों की जांच करने वाले जो अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत हैरत में पड़ जायेंगे। एक-एक साल की, एक-एक महीने की रिपोर्ट में ११ करोड़ रुपया से अधिक अनियमित व्यय हुआ है। इस प्रकार सरकार का जो पैसा अधिक खर्च होगा तो हमारी और सरकार की बदनामी होगी। साथ ही साथ इस सरकार को अपने प्रदेश की सिंचाई योजना और दूसरी योजनाओं को चलाना चाहिये वह चला नहीं पायेगी। इसलिये वित्त मन्त्री जी को बड़ी कड़ाई के साथ इस पर नजर रखनी चाहिये। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अधिक पैसा खर्च किया हो उनके साथ निष्ठुरता का व्यवहार अपनायें।

श्री अध्यक्ष—

१९६८-६९ की स्थिति से आप वाकिफ हैं। यह बहस इस प्रसंग में कर रहे हैं।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि यह जो पिछला खर्च दिखाया गया है, जहां तक मुझे याद है क्या यह संविद सरकार के कार्य-क्रमों पर परदा डालने के लिये लाया गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि १९६८-६९ का यह खर्चा है जिस समय संविद की सरकार चल रही थी। उस समय जो खर्चा किया गया उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत अर्से का खर्चा है और मैं समझता हूं कि आडीटर जनरल ने इस पर एतराज किया होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं कि लोक-लेखा-समिति जांच करती है और उसका प्रतिवेदन तैयार करती है, तब यहां पर आता है।

श्री ईश्वरी सिंह—

जब इतने लम्बे का खर्चा हो जाता है तो रेगुलराइज करने का प्रयास किया जाता है। माननीय मन्त्री जी की कोशिश में कोई शक नहीं है कि जो खर्चा होता है उसको रेगुलराइज करने के लिये एक विधेयक की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका यह कर्त्तव्य था कि इतने लम्बे अर्से की जो इतनी बड़ी धनराशि है उसको वह पहले सदन में लाते।

श्री अध्यक्ष—

इन सारी बातों पर लोक-लेखा-समिति विचार करती है और जांच करती है और अपनी जांच के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करती है तब यहां पर आता है। अगर आप यह अधिकार चाहते हैं कि सीधे यहां पर आवे तो एक भी काम नहीं आप कर सकते हैं। समझ लें वित्त विभाग बहुत पेचीदा विभाग है।

श्री ईश्वरी सिंह—

मान्यवर, जिस चीज की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो एतराज आडीटर जनरल ने किये हैं क्या उनको माननीय वित्त मन्त्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगें ?

श्री अध्यक्ष—

लोक-लेखा-समिति का प्रतिवेदन रखा ही जाता है। आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और बहुत सी बातें जो पूरी नहीं हुई हैं, उनको आप पूछ सकते हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य, वाराणसी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत प्रेरणादायक शब्द मेरे लिये कहे और मुझे विश्वास है कि उनकी सद्भावना इसी तरह से हम सभी के लिये बनी रहेगी। यह जो मेरा कटु दायित्व जो मैंने निभाया है संविधान की धारा २०५(१) के अनुसार उठाना पड़ा है। १९६८-६९ में विधान सभा नहीं कार्य कर रही थी राष्ट्रपति शासन था और वित्तीय वर्ष का बजट पार्लियामेंट से पास हुआ था। जो एक्सेस एक्सपेन्डीचर हो जाता है उसकी व्यवस्था पहले से ही की गयी है। अगर किसी वित्तीय वर्ष में एक्सेस एक्सपेन्डीचर हो जाता है तो उसकी व्यवस्था संविधान में की गयी है। मान्यवर, एक्सेस एक्सपेंडीचर नहीं होना चाहिये, जितना बजट है उतनी धनराशि खर्च होनी चाहिये। उससे अधिक खर्चा नहीं होना चाहिये। यह एक आदर्श व्यवस्था है और हमारा प्रयास भी रहता है कि एक्सेस एक्सपेंडीचर न हो। लेकिन अगर कहीं किसी कारणवश वह अधिक हो गया तो न केवल वित्त विभाग इससे सम्बन्धित है बल्कि इसकी एक प्रक्रिया है। अधिक व्यय (एक्सेस एक्सपेंडीचर) की जानकारी कौन देता है ? भारत के महा लेखा परीक्षक (कन्ट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल) आडिट के जरिये यह बताते हैं कि यह-यह एक्सेस एक्सपेंडीचर हुआ।

पहली बात तो यह है कि जिस समय १९६८-६९ की आडिटर जनरल की रिपोर्ट सदन में रखी जाती है उसमें सम्बन्धित सभी मदों का जिक्र होता है। फिर उस रिपोर्ट को लोक-लेखा-समिति के विचार के लिये भेजा जाता है। वहां पर उसमें सारे विवरण में विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाता है। लोक-लेखा-समिति कितनी सशक्त है और कितने विवरण में जाकर वह सारा हिसाब देखती है, मान्यवर, आपको भी विदित होगा। मुझे भी २ वर्ष इस समिति का सभापति होने का सुअवसर मिला है। बिना किसी दलीय भावना के प्रत्येक मद को देखा जाता है, उसमें प्रताड़ना भी समिति करती है और मैं जानता हूं कि किस प्रकार से सचिव लोग, जो विभागाध्यक्ष होते हैं, इसमें आते कितना डरते हैं और कितनी उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है, इसका अन्दाजा, मान्यवर, आपको भी है और मुझे भी जानकारी है। जब तक लोक-लेखा-समिति की सिफारिश न हो जाय तब तक अधिक व्यय मंजूर करने का प्रस्ताव यहां पर नहीं आता है। इस सम्बन्ध में मैं एक पीले पैम्फलेट की ओर आकर्षित करता हूं जो सभी माननीय सदस्यों में विधेयक के पहले बंट चुका है। इसमें अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के अनुदानों के बारे में टिप्पणी है और इसमें सारे विवरण हैं कि क्यों अधिक व्यय हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण भी इसमें संक्षिप्त में लिखे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

सबको पता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें जो वित्त सचिव का मेमोरैन्डम है उसके पैरा ३ में लिखा है कि "सम्बन्धित वर्ष के व्यय के आंकड़ों की लेखा-परीक्षा हो जाने और भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष के विनियोग लेखे संकलित कर लिये जाने तथा राज्य लोक-लेखा-समिति द्वारा उस पर विचार कर लिये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त अनुदान की मांग विधान सभा के समक्ष रखी जाती है। १९६८-६९ के लिये स्वीकृत अनुदानों की तुलना में जो धनराशियां अधिक व्यय हुई हैं, उनकी जांच लोक-लेखा-समिति द्वारा कर ली गई है और उसने यह सिफारिश की है कि व्यय वृद्धि की पूर्ति के लिये विधान सभा के समक्ष अनुदान अथवा विनियोग की मांग प्रस्तुत करके स्थिति विनियमित कर ली जानी चाहिये।"

लोक-लेखा-समिति की रिपोर्ट इस सदन में पेश हो चुकी है, जैसे कि आज पेश हुई। उस रिपोर्ट का हम यहां पर कार्यान्वयन कर रहे हैं, इस विधेयक के माध्यम से और इसमें संक्षेप में कारण भी दिये जा रहे हैं कि क्यों यह खर्चा हुआ। जैसा कि श्रीमन्, हम पहले ही खर्चे को लें जिसको मैंने माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से पेश किया कि इलेक्शन में होम गार्ड्स की ड्यूटी भत्ता तथा उनके द्वारा छोटी बड़ी गाड़ियों के किराये आदि में जो खर्चा हुआ वह बजट से १० १/२ लाख ज्यादा था, कारण यह था कि बिलों का भुगतान फरवरी और मार्च में नहीं हो पाया था। इसी प्रकार अनुदान संख्या २९ को ले लीजिये। इसमें २९ लाख २८ हजार रुपया अनुसूचित जातियों पर ज्यादा खर्च हुआ। पहले अनुसूचित जातियों के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को ही छात्रवृत्तियां दी जाती थीं परन्तु जनवरी-मार्च में भारत सरकार ने यह तय किया कि यह सभी छात्रों को दी जाय चाहे विद्यार्थी १० के पहले के हों या बाद के। तो वहां पर तो ग्रान्ट हुई और खर्चा बढ़ा यहां का।

इसी प्रकार से गन्डक तथा राम गंगा परियोजनाओं के निर्माण कार्यों तथा सस्पेन्स एकाउन्ट में ज्यादा खर्चा हुआ। बड़े-बड़े बुल-डोजर्स, डम्पर आदि में खर्च किया गया। ये बाहर से आते हैं, जर्मनी से, अमेरिका से और दूसरे देशों से, ये खर्चा करके मंगाये गये थे। अब जब यह सामान आया तो अकाउन्टिंग पद्धति ऐसी है सस्पेंस अकाउन्ट की कि ये डेबिट रेज करते हैं, कि यह खरीद हुई। पर उन्होंने, जो एम्बैसी और एकोनामिक अफेयर्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने वह डेबिट रेज किया भारत सरकार के नाम और भारत सरकार ने रेज किया हमारे नाम। लेकिन वह कोई वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं चलते हैं, वह तो अपनी सुविधा से काम करते हैं। जिस समय उन्हें रुपये की आवश्यकता हुई वह कर लेते हैं और अकाउन्टेंट जनरल हमारे लेखे में लिख देते हैं। तो उस वजह से १३ करोड़ रुपये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का डेबिट हो गया। वित्त विभाग तो वैसे ही सख्ती से इन अकाउन्ट्स को देखता है कि कहीं कोई एक्सेस न हो और इस वजह से अन्य विभाग नाराज भी हो जाते हैं कि इतनी सख्ती से क्यों काम कर रहा है। मैं सहमत हूं उनके विचारों से कि हमें और अधिक सख्ती से नियन्त्रण करना चाहिये और एक्सेस की नौबत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सारे नियन्त्रण के बाद भी हो गया तो अनुच्छेद २०५ में इस बात का हमें अधिकार दिया गया है और इस प्रकार की स्थिति को फोरसी संविधान ने किया है, उसी के अनुसार व्यवस्था की जा रही है।

माननीय सदस्य, सुल्तानपुर ने कहा कि डिवीजन काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उन डिवीजनों का पैसा भी रखा हुआ है, तो श्रीमन्, यह तो एक अस्थायी स्थिति है। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिये प्लानिंग कमीशन ने सड़कों में व्यय आदि न करने के लिये कहा है, केवल हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं कहा है। जैसे ही मुद्रा-स्फीति पर रोक-थाम हो गयी और इस महीने में ही जीरों परसेंट इनफ्लेशन आ जायगा, तो धीरे-धीरे निर्माण कार्य फिर चालू होंगे। मेंटीनेंस का काम तो अब भी चालू है, वह बन्द नहीं हुआ है, देख-रेख का काम भी चालू है। थोड़ा बहुत पुरानी सड़कों पर काम चल रहा है। तो जब इनफ्लेशनरी सिचुएशन पर नियन्त्रण हुआ तो फिर यह अवसर आ सकता है कि हम निर्माण कार्य चाहे वह रूरल इन्जीनियरिंग का हो या पी० डब्ल्यू० डी० का हो, उसको चालू कर सकें। तो यह अस्थायी स्थिति है, इसलिये विभागों को तोड़ा नहीं है। नहीं तो हमें बड़े पैमाने पर रिट्रेन्चमेंट करना पड़ता, लेकिन साल-दो साल के लिये डिवीजन्स को कैसे तोड़ सकते हैं? इस परिपेक्ष में माननीय सदस्य मेरे द्वारा प्रस्तुत इस विनियोग विधेयक को स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा है।

**श्री अध्यक्ष—**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खंड २, खंड ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५**

३१ मार्च, १९६९ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

**विधेयक**

भारतीय गणतन्त्र के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

**संक्षिप्त शीर्षनाम**

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

**१९६८-६९ की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से ३१,५७,९१,९६५ रुपये का दिया जाना**

२—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग ३१,५७,९१,९६५ रुपये (इक्तीस करोड़, सत्तावन लाख, इक्यान्वे हजार, नौ सौ पैंसठ रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

---

## अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | बढ़ती | | |
| | | स्वीकृत मांग | राज्य की संहत निधि पर भारित | योग |
| | | रु० | रु० | रु० |
| ९ | निर्वाचन | १०,४९,०८४ | .. | १०,४९,०८४ |
| ११ | आयुक्त और जिला प्रशासन। | १५,८६,७१२ | .. | १५,८६,७१२ |
| १३ | न्याय प्रशासन | .. | ४१,८७२ | ४१,८७२ |
| २० | सार्वजनिक स्वास्थ्य | १,४०,५३,२७८ | ६९७ | १,४०,५३,९७५ |
| २६ | नियोजन और समन्वय | .. | ४२६ | ४२६ |
| २९ | अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां। | २८,०३,३९८ | .. | २८,०३,३९८ |
| ३१ | राजस्व से पूरे किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य। | २८,९८,४२१ | .. | २८,९८,४२१ |
| ३९ | अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें | ८,८५,५७६ | .. | ८,८५,५७६ |
| ४२ | वन | .. | ७६,२१६ | ७६,२१६ |
| | *ऋण कम करना अथवा उसका परिहार। | .. | २,४१,५३,६२१ | २,४१,५३,६२१ |
| ४५ | कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय। | ५,९०,०८,५९५ | .. | ५,९०,०८,५९५ |
| ४७ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय। | १३,१९,९१,२९८ | .. | १३,१९,९१,२९८ |
| ४८ | सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय। | ७,७२,४२,७७१ | .. | ७,७२,४२,७७१ |
| | योग .. | २९,१५,१९,१३३ | २,४२,७२,८३२ | ३१,५७,९१,९६५ |

*भारित विनियोग

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६८-६९ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**१९६९-७० की बढ़ती व्यय की मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य**

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०५,८४,७०९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०५,८४,७०९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें**

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत २६,९७,११५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत २६,९७,११५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ४८--बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय**

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,५१,८८,२५७ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८––बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,५१,८८,२५७ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय**

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश के यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९,६५,०७,५७१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ९,६५,०७,५७१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६९-७० से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५**

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ऊदल (जिला वारणसी)––

श्रीमन्, वित्त मन्त्री ने तो ५० करोड़ के करीब पहुंचा दिया है।

श्री अध्यक्ष––

वित्त मन्त्री जी जवाब देने में सक्षम हैं। पूछिये उनसे?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

श्री ऊदल—

मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि यह रकम बढ़ कर ५० करोड़ के लगभग हो गयी है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने भाषण तो बहुत अच्छा दिया और कहा कि हम नियन्त्रण रखेंगे, मगर जिन बातों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया था उस ओर माननीय वित्त मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। न कोई आश्वासन ही दिया कि वे कुछ कार्यवाही उस ओर करेंगे। इसलिये मैं बहुत लम्बा भाषण न देकर इसका विरोध करता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं वह हमारी जानकारी में है और इस पर पूरी तरह से ऐक्शन लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मन्त्री जी कुछ करेंगे।

(माननीय वित्त मन्त्री के न उठने पर।)

श्री ऊदल—

जवाब तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हम क्या करें?

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

**उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५**

३१ मार्च, १९७० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

**विधेयक**

भारतीय गणतन्त्र के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

१९६९-७० की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से २६,३०,८५,६१८ रुपये का दिया जाना

२—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची से स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग २६,३०,८५,६१८ रुपये (छब्बीस करोड़, तीस लाख, पचासी हजार छः सौ अठारह रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९७० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है उन धनराशियों का विनियोग, ३१ मार्च, १९७० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

**अनुसूची**

(धारा २ और ३ देखिये)

| १ | २ | ३ | | |
|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या | सेवायें और प्रयोजन | बढ़ती | | |
| | | स्वीकृत मांग | राज्य की संहत निधि पर भारित | योग |
| | | रु० | रु० | रु० |
| ४ | बिक्री-कर .. | .. | ७७० | ७७० |
| १५ | पुलिस .. | .. | १,७७७ | १,७७७ |
| ३१ | राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य। | १,०५,८४,७०९ | .. | १,०५,८४,७०९ |
| ३९ | अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें | २६,९७,११५ | .. | २६,९७,११५ |
| | *ऋण कम करना अथवा उसका परिहार। | .. | ८१,०५,४१९ | ८१,०५,४१९ |
| ४८ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय। | १४,५१,८८,२५७ | .. | १४,५१,८८,२५७ |
| ४९ | सिचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय। | ९,६५,०७,५७१ | .. | ९,६५,०७,५७१ |
| | | २५,४९,७७,६५२ | ८१,०७,९६६ | २६,३०,८५,६१८ |

*भारित विनियोग

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ६२४–६२७ पर)

## उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ६२८–६४३ पर)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
५ अगस्त, १९७५।

## नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५५ पर )

## उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, १९७५

भूमिहीन कृषि–श्रमिक, लघु और सीमान्त कृषकों और ग्रामीण शिल्पियों से ऋण की वसूली के अधिस्थगन का उपबन्ध जनता के ऐसे निर्बल वर्गों की ऋण-ग्रस्तता के समापन के लिये अग्रतर कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग ( ऋण की वसूली का अधिस्थगन) अधिनियम, १९७५ कहा जायगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

२—इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) "शिल्पी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परम्परागत औजार-उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाएं, और शिल्पी के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो सामान्यतया अपनी जीविका कोई शिल्प या तो स्वयं अपने श्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम स करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है ;

(२) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत—

(क) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, १९२० के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय,

(ख) यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत,

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय,

भी है ;

(३) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी समिति से है ;

(४) "ऋण" का तात्पर्य नकद अथवा वस्तु के रूप में किसी अधिदाय से है, चाहे उसके लिए डिक्री हुई हो अथवा नहीं, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा संव्यवहार भी है जो सार रूप में ऋण हो ;

(५) "भूमिहीन कृषि श्रमिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है ;

(६) "सीमान्त कृषक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है और जिसके पास उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि नहीं है ;

(७) "संरक्षित ऋणी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में साधारणतया निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो भूमिहीन कृषि श्रमिक, शिल्पी या लघु या सीमान्त कृषक हैं,

(८) "ग्रामीण क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो उसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में दिया गया है ;

(९) "लघु कृषक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है और जिसके पास उत्तर प्रदेश में भूमि एक हेक्टेयर से अधिक है किन्तु दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की नहीं है ।

ऋण का स्थगन

३—तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अथवा ऐसी संविदा या डिक्री या अन्य लिखित में जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो, किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी संरक्षित ऋणी के विरुद्ध किसी ऋण की वसूली के किये या उससे सम्बन्धित कोई वाद, अपील, आवेदन या निष्पादन या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि, में संस्थित, प्रस्तुत या प्रारम्भ नहीं की जायेगी ;

(ख) ऐसा कोई वाद, अपील, आवेदन या निष्पादन या अन्य कार्यवाही जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर विचाराधीन हो, एक वर्ष की उक्त अवधि में स्थगित की जायेगी और रहेगी ;

(ग) किसी ऋण के लिये किसी डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार या निरुद्ध संरक्षित ऋणी मुक्त कर दिया जायगा और ऐसे निष्पादन में की गई किसी संरक्षित ऋणी की किसी सम्पत्ति की कुर्की इस अधिनियम के प्रारम्भ पर तुरन्त समाप्ति हो जायेगी ;

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा एक वर्ष की उक्त अवधि की ऐसी अग्रतर के लिये, जैसी वह उचित समझे, बढ़ा सकती है, जो एक बार छः मास से अधिक न होगी, किन्तु इस प्रकार की वह अग्रतर अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

परिसीमा अवधि का अपवर्जन अपवाद

४—धारा ३ में विनिर्दिष्ट किसी वाद, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिये, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संक्षिप्त, प्रस्तुत या प्रारम्भ की जाय और जो उक्त धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अन्यथा संस्थित, प्रस्तुत या प्रारम्भ की गई होती, परिसीमा अवधि की गणना में उक्त अवधि का अपवर्जन किया जायेगा ।

५—इस अधिनयम की किसी बात का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले किसी संरक्षित ऋणी के किसी ऋण या अन्य दायित्वों पर नहीं पहुंचेगा अर्थात् :—

(क) ऐसे ऋणी को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय कोई किराया ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्षित कोई संव्यवहार या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक का कोई संव्यवहार,

(ग) न्यास–भंग से उद्भूत कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व ;

(घ) की गई सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्यथा मजदूरी अथवा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व ;

(ङ) भरण–पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह न्यायालय की डिक्री के अधीन हो अथवा अन्यथा ;

(च) निम्नलिखित को देय कोई ऋण—

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार ;

(२) कोई स्थानीय प्राधिकारी,

(३) उत्तर प्रदेश लोक–धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९७२ में तथा परिभाषित कोई बैंकिंग कम्पनी ;

(४) उत्तर प्रदेश लोक–धन( देयों की वसूली)अधिनियम, १९७२ में यथा परिभाषित कोई निगम ;

(५) कोई सहकारी समिति ;

(६) कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी ;

(७) भारतीय जीवन बीमा निगम ;

(छ) कोई ऋण जो ऐसे ऋणी द्वारा क्रय किये गये माल की कीमत के बारे में हो ;

(ज) सम्पत्ति के विभाजन या बटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर, अथवा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २९–क में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर ;

(झ) भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाने वाली कोई धनराशि ।

उत्तर प्रदेश संस्था

## उद्देश्य और कारण

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ऋणग्रस्तता से अनुतोष का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष अधिनियम, १९७५, अधिनियमित किया गया था। किन्तु इसके द्वारा उन कृषि–श्रमिकों को सुविधा मिली जिसके पास केवल एक एकड़ तक भूमि है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के अन्य लोग भी हैं जो अत्यधिक ऋणग्रस्त हैं, अर्थात् लघु और सीमान्त कृषक तथा शिल्पी जो परम्परागत कृषि उपकरणों का निर्माण और मरम्मत करके अपनी जीविका चलाते हैं। अतएव, यह प्रस्ताव है कि उनकी ऋणग्रस्तता का समापन करने के लिये क्रमिक उपाय किये जाएं और इस बीच न्यायालय के माध्यम से उनके कतिपय श्रेणी के ऋणों की वसूली अस्थायी अवधि के लिये रोक दी जाय।

२––तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

**मोहसिना किदवाई,**
समाज कल्याण मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५५ पर।)

## रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : —

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करें।

अधिनियम संख्या १६, १९०८ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"(३) राज्य सरकार अपने अधीन राज्य क्षेत्र के लिये एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण उप-महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और ऐसे आफिसरों के कर्त्तव्य विहित कर सकेगी और उन्हें रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की सभी या किन्हीं शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और पालन करने का प्राधिकार दे सकेगी।"

धारा ६९ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ६९ में, उप-धारा (१) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(घघ) अधिक संदत्त रजिस्ट्रीकरण फीस की वापसी का उपबन्ध करने के लिए ;

(घघघ) रजिस्ट्रीकरण फीस में कमी की वसूली का उपबन्ध करने के लिये ;

नई धारा ७८-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ७८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

फीस में कमी या परिहार करने की शक्ति

"७८-क—राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित, नियम या आदेश द्वारा, अपने प्रशासनाधीन सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी लिखत या लिखतों के वर्ग के सम्बन्ध में, या किन्हीं ऐसे लिखतों के वर्ग, जब वह राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा या पक्ष में निष्पादित किया जाय के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस को भविष्य लक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या उसका परिहार कर सकेगी।"

धारा ८०–क का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ८० के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ की धारा ४७-क के अधीन कायवाहियों में कलेक्टर का कत्तव्य

"८०–क (१) यदि कलेक्टर का, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की धारा ४७–क के अधीन कार्यवाही के दौरान यदि कोई हो, यह समाधान हो जाये कि इस अधिनियम के अधीन किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण के लिये संदत्त फीस कम है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी कार्यवाही के दौरान ऐसी फीस में कमी की धनराशि को अवधारित करे, और ऐसी कार्यवाही में किए गए आदेश की प्रति रजिस्ट्रीकरण आफिसर को, उस व्यक्ति से जो उक्त धारा के अधीन स्टाम्प शुल्क म कमी की धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, उक्त धनराशि वसूल करने के लिए भेजें।

(२) उपधारा (१) के अधीन कलेक्टर का कोई आदेश भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की धारा ४७-क के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया आदेश समझा जायगा और अन्तिम होगा।

(३) इस धारा के अधीन वसूल की जा सकने वाली किसी धनराशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।"

नई धारा ८०–ख का बढ़ाया जाना

रजिस्ट्रीकरण फीस में कमी की भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली और अधिक भुगतान की गई फीस का लौटाया जाना

"८०–ख (१) यदि निरीक्षण करने पर या अन्यथा यह पाया जाय कि इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में, जो रजिस्टर्ड है, संदेय फीस का भुगतान नहीं किया गया है, या, अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया है, तो उक्त फीस (मांगने पर विहित अवधि के भीतर उसका भुगतान न किये जाने पर) रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक या रजिस्ट्रीकरण उप महानिरीक्षक के प्रमाण-पत्र पर उस व्यक्ति से जिसने उक्त दस्तावेज धारा ३२ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किया हो, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा। ऐसा प्रमाण–पत्र अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं की जायगी :

परन्तु कोई ऐसा प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि सम्यक जांच न कर ली जाय और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(२) यदि रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को यह पता लगे कि प्रभारित और संदत्त फीस की धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधितः प्रभार्य फीस की धनराशि से अधिक है, तो आधिक्य को वह, लिखित आवेदन करने पर या अन्यथा, लौटा सकेगा।"

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ में इस समय ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत विलेखों की रजिस्ट्री के पश्चात् पाई गई रजिस्ट्रीकरण फीस की कमी वसूल की जा सके। अधिक वसूल की गई फीस की वापसी तथा विलेखों पर फीस से छूट अथवा उसकी दरों में कमी करने का भी प्राविधान इस समय अधिनियम में नहीं है।

अतएव उपर्युक्त अधिनियम में इन कमियों को दूर करने के लिये आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। कतिपय विभागीय अधिकारियों की आवश्यकता पड़ने पर नियुक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

विधान सभा सचिवालय

## नत्थी 'ग'

(देखिय पीछे पृष्ठ ६१६ पर)

## भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७५

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ का, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

१—(१) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे ।

**अधिनियम संख्या २, १८९९ की धारा २ का संशोधन**

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में, खण्ड (२६—क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(२७) 'तिमाही' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष की तिमाही से है ।"

**धारा ६—क का संशोधन**

३—मूल अधिनियम की धारा ६—क में, उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(१—क) जहां कोई लिखत उत्तर प्रदेश से भिन्न भारत के किसी अन्य भाग में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और ऐसा लिखत उत्तर प्रदेश में स्थित किसी सम्पत्ति से पूर्णतः अथवा अंशतः सम्बन्धित है, वहां ऐसे लिखत की प्रति, उत्तर प्रदेश में प्राप्त होने पर, धारा १९—क के अधीन मूल रूप से देय स्टाम्प शुल्क का अन्तर, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के प्रतिफल या मूल्य की सीमा तक और उसके अनुपात में देय होगा और मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क का देनदार पक्षकार, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने पर, अनुज्ञात समय के भीतर शुल्क के अन्तर का भुगतान करेगा ।

**धारा ११—क का बढ़ाया जाना**

४—मूल अधिनियम की धारा ११-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

**कैश मेमो पर शुल्क का नकद भुगतान**

११—क(१) धारा ११ में किसी बात के होते हुए भी, किसी बिल या कैश मेमो के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर (जिसके अन्तर्गत प्रतिपर्ण या कार्बन प्रति भी है) अनुसूची १—ख के अनुच्छेद २५—क के अधीन देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान या तो ऐसा लिखत देने की तारीख की स्टाम्प द्वारा या प्रत्येक तिमाही में एक बार

नकद द्वारा, ऐसे समस्त लिखत के लिये जो पिछली तिमाही में दिये गये हों, ऐसे शीर्षक के अधीन जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें, खजाने या उप-खजाने में किया जा सकेगा ।

(२) नकद शुल्क जमा करने के लिये तैयार किये गये खजाना चालान के साथ ऐसा विवरण-पत्र दिया जायगा और सत्यापन के प्रयोजन के लिये उसे ऐसी अवधि के लिये परिरक्षित किया जायगा और उसका उचित लेखा ऐसे प्रारूप में रखा जायगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।"

धारा ३३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(३) जहां संदत्त स्टाम्प शुल्क में कोई कमी किसी लिखत की प्रति से सूचना में आये, वहां कलेक्टर, स्वविवेक से या किसी न्यायालय या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश या राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी के निर्देश पर, मूल लिखत को, उस पर संदत्त शुल्क की पर्याप्तता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है और कलेक्टर के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया लिखत उसके कृत्यों के निर्वहन में उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया या आया समझा जायगा ।

(४) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी को, यदि कोई हों, लिखत की प्रति पर धारा ४० के अधीन शास्ति सहित भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यह कि लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।"

धारा ४७-क का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ४७-क में—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित बाजार मूल्य से कम हो" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से भी कम हो" रख दिये जायं ;

(ख) उपधारा (४) में, शब्द "या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के अभिदेश पर" के स्थान पर शब्द "या किसी न्यायालय या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश या राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी के निर्देश पर" रख दिये जायं।

धारा ४८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"४८—इस अधिनियम के अधीन संदान के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्ति और अन्य धनराशि की कलेक्टर के द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे वह प्राप्त हों, जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, या भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकेगा।"

शुल्क एवं शास्ति की वसूली

नई धारा ६४—क तथा ६४—ख का बढ़ाया जाना

८—मूल अधिनियम की धारा ६४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जाएं, अर्थात् :—

"६४—(क) कोई व्यक्ति जो किसी बिल या कैश मेमो के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर (जिसके अन्तर्गत प्रतिपर्ण या कार्बन प्रति भी है), उसके जारी होने की तारीख को धारा २५—क के अनुसार स्टाम्प लगाने से या तो इन्कार करता है, या उपेक्षा करता है या धारा ११—क के अनुसार शुल्क का नकद भुगतान करने में असफल रहता है, या जहां उसका नकद भुगतान किया जाय, वहां धारा ११-क की उपधारा (२) के अनुसार उसका उचित लेखा रखने में असफल रहता है, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ५०० रु० तक हो सकेगा।

धारा ११—क और २५-क का अनुपालन न करने के लिए शास्ति

६४—ख (१) जहां इस अधिनियम के अधीन शुल्क का भुगतान करने के लिये देनदार व्यक्ति को किसी लिखत के सम्बन्ध में (जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—१ की प्रविष्टि ९१ में विनिर्दिष्ट लिखत न हो) धारा ६२ या ६४ के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाय, वहां मजिस्ट्रेट किसी ऐसे दण्ड के अतिरिक्त, जो ऐसे अपराध के लिये अधिरोपित किया जा सके, ऐसे व्यक्ति से उस लिखत के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क और शास्ति की, यदि कोई हों, धनराशि की वसूली का निर्देश देगा, और इस धनराशि को मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किसी जुर्माने के रूप में भी वसूल किया जा सकेगा।

कम स्टाम्प शुल्क की रकम की वसूली

(२) ऐसी वसूली पर कलेक्टर लिखत पर पृष्ठांकित करके यह प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में, यथास्थिति, उचित शुल्क या शास्ति उद्गृहीत की गयी है।"

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची १—ख के अनुच्छेद २५—क के अधीन पांच रुपये से अधिक की किसी धनराशि के ऐसे बिल और कैश मेमो के प्रतिलेख अथवा द्वितीय प्रति पर जिन्हें माल के क्रय या विक्रय पर कर से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रखना पड़ता है, दस पैसे का शुल्क देना अपेक्षित होता है। व्यापारियों ने रेवेन्यू स्टाम्प प्राप्त करने और उनके चिपकाने तथा उन्हें रद्द करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में राज्य सरकार को प्रतिवेदन किए हैं।

अतएव, उपर्युक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि व्यापारी प्रत्येक तिमाही में कोषागार चालान के माध्यम से उपर्युक्त शुल्क को कोषागार अथवा उप—कोषागार में जमा कर सके।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्टाम्प शुल्क के अपवंचन की सम्भावनाओं को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा ६—क, ३३, ४७—क, ४८ या ६४ में भी कतिपय संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

विधान सभा सचिवालय

सत्वी 'ब'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१६ पर)

## उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७५

कतिपय प्रयोजनों के लिये और कतिपय कार्यों तथा कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के निमित्त उत्तर प्रदेश बिक्री–कर ऐक्ट, १९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री–कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में,—

(१) वर्तमान खण्ड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और मार्च, १९७३ के प्रथम दिन से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(कक) माल खरीदने या बेचने के व्यापार के सम्बन्ध में, 'व्यापार' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(१) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाई जाय या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं ; और

(२) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, पैक करने का सामान, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, उत्सर्जित पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकार का कोई अन्य माल अथवा कोई अनुप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीन या उसके कोई हिस्से या सहायक सामान या कोई उत्सर्जित पदार्थ या छीजन या उनमें से कोई भी चीज जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो, खरीदने, बेचने या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार ;

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं है जिसमें माल खरीदना या बेचना अन्तर्विष्ट न हो; "

(२) खण्ड (ग) में, मार्च, १९७३ के प्रथम दिन से प्रभावी रूप में—

(i) शब्द "राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग जो ऐसा व्यापार करता हो" के स्थान पर शब्द "कोई राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जो ऐसा व्यापार करती हो" रख दिये जायं ;

(ii) स्पष्टीकरण २ निकाल दिया जाय ;

(३) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय और अक्तूबर, १९७२ के तेरहवें दिन से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"(ङ–१) निर्माण का तात्पर्य किसी माल का उत्पादन करने, बनाने, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, परिवर्तन, अलंकृत, परिसज्जित करने या अन्य प्रकार से प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलित करने से है ; किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा निर्माण या निर्माण-विधा नहीं है जो निर्धारित की जाय" ;

(४) खण्ड (झ) में, स्पष्टीकरण १ निकाल दिया जाय।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (२) में, शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रुपये" रख दिये जायें और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गए समझ जायें ;

(२) उपधारा (३) में,—

(क) खण्ड (क) में शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "धारा ३–क की उपधारा (१) के अधीन" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "धारा ३–क की उपधारा (१) या उपधारा (२–क) के अधीन" रख दिए जांए और दिसम्बर, १९७३ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायें ; और

(ख) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें, अर्थात् :—

"(२) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन निर्धारित कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके, खरीदे या आयात किये गये माल,

(३) उपखण्ड (१) या उपखण्ड (२) में अभिदिष्ट माल का प्रयोग करके अपने द्वारा निर्मित माल ; ।"

धारा ३–क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३–क में, —

(१) उपधारा (१) के खण्ड (क) में, शब्द "बारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" रख दिये जायें, और

(२) उपधारा (२–क) में, प्रथम तथा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे किसी माल के सम्बन्ध में ऐसे दिनांक से जिसे उस निमित्त विज्ञापित किया जाय, विक्रय धन पर कर की दर या कर के स्थल में परिष्कार कर सकती है, किन्तु इस प्रकार की दर सात प्रतिशत से अधिक न हो।"

धारा ३–घ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३–घ में—

(१) उपधारा (१) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (२) में, शब्द "बारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" रख दिये जायें।

(२) उपधारा (३–क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्—

"(३–क) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर का देनदार नहीं होगा, यदि उसके उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल के क्रय–धन, उपधारा (२) के अधीन कर–योग्य विक्रय धन और अन्य सभी माल के कुल विक्रय–धन का योग, जो कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हो, बारह हजार रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) धारा १८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ;

(२) इस उपधारा की कोई बात किसी व्यापारी पर धारा ३ की उपधारा (३) में उल्लिखित परिस्थितियों में व्यापारी द्वारा खरीदे या बेचे गए माल के सम्बन्ध में लागू न होगी ;

(३) शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर दिनांक अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित हो जायगा।"

धारा ३–ङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ३–ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

कतिपय संव्यवहारों पर क्रय-कर का लगाया जाना

"३-ङ—प्रत्येक व्यापारी जो किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से उन परिस्थितियों में, जिनमें ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा कोई कर देय न हो या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई कर योग्य माल खरीदता है तो वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर कर का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल पर बिक्री के केवल एक स्थल पर कर देय हो और यदि ऐसा व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह साबित कर दे कि खरीदे गये माल पर पहले ही

कर लग चुका है या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर लगाया जायगा तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा ।"

धारा ३–च का संशोधन

७––मूल अधिनियम की धारा ३–च में,––

(१) शब्द तथा अंक "प्रत्येक व्यापारी, जो धारा ३, धारा ३–क, धारा ३–कक या धारा ३–घ के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में क्रय या विक्रय अथवा दोनों का कुल विक्रय धन" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :––

"प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में धारा ३–घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल के कुल क्रय धन, धारा ३-घ की उपधारा (२) के अधीन कर योग्य विक्रय धन का और अन्य समस्त माल के कुल विक्रय धन का योग ।"

(२) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "सम्पूर्ण कर निर्धारण वर्ष के विक्रय धन या क्रय–धन अथवा दोनों" के स्थान पर शब्द "सम्पूर्ण कर–निर्धारण वर्ष के कुल क्रय धन और विक्रय धन के यथा उपर्युक्त योग" रख दिये जाएं और सदैव से रखे गये समझे जाएं ।

नई धारा ३–छ का बढ़ाया जाना

८––मूल अधिनियम की धारा ३–च के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३–छ बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

कतिपय विक्रियों पर कर की विशेष दर

"३–छ (१) धारा ३–क या धारा ३–घ में किसी बात के होते हुए भी, और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम (जो नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, जिला परिषद्, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या कोई विश्वविद्यालय या किसी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा तत्समय प्रबन्धित कोई संस्था न हो) को बेचे गए माल के सम्बन्ध में निर्धारित रीति से अवधारित किये जाने वाले विक्रय–धन पर कर, यदि व्यापारी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो निर्धारित किया जाय, कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम से प्राप्त घोषणा–पत्र प्रस्तुत करे, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (१) में तत्समय निर्दिष्ट दर पर लगाया और दिया जायगा जब तक कि माल इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उक्त दर से कम दर पर कर लगाने योग्य न हो ।

१९५६ का ऐक्ट ७४

(२) उपधारा (१) के उपबन्ध किसी ऐसे माल की बिक्री पर लागू न होंगे जिन्हें ऐसा विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम फिर से बेचने के लिये या किसी माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिये खरीदे ।

(३) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट घोषणा के प्रति माल खरीदने के पश्चात् कोई विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिये न करे, बल्कि उनका उपयोग या निस्तारण उपधारा (२) में उल्लिखित रीति से या किसी अन्य रीति से कर दे तो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही जिसके अन्तर्गत शास्ति का आरोपित किया जाना भी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम क्रय कर के रूप में उतनी धनराशि का देनदार होगा जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर अन्यथा प्रयोज्य दर तथा उपधारा (१) में निर्दिष्ट दर के अन्तर के बराबर हो।"

धारा ४—ख का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ४—ख की उपधारा (२) में स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में शब्द "विज्ञापित माल के निर्माण में किसी व्यापारी द्वारा प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों" के स्थान पर शब्द "विज्ञापित माल के बिक्री के लिये निर्माण या पैकिंग में, यथास्थिति, प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों या कन्टेनरों या पैक करने का सामान" रख दिये जाएं।

धारा ५ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "जो निर्धारित किये जायें" के स्थान पर शब्द "जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे" रख दिये जायें।

नई धारा ६ का बढ़ाया जाना

११—मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"६ (१) किसी अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी कर निर्धारक अधिकारी की क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के प्रति कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी आपत्ति यथा सम्भव शीघ्र अवसर पर कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष न की गई हो और जब तक कि अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी की राय में उससे वास्तव में न्याय न हो पाया हो।

अधिकारिता के प्रति आपत्ति

(२) यदि कर निर्धारक अधिकारी की केवल क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के अभाव के कारण अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से जिससे सार पर प्रभाव न पड़ता हो कोई कर-निर्धारण रद्द या अपखण्डित कर दिया गया हो तो कर निर्धारिती द्वारा स्वीकृत दायित्व की सीमा तक पहले से ही दिया गया कर इस प्रकार कर निर्धारण रद्द या अपखण्डित किये जाने के फलस्वरूप उसे वापस किये जाने योग्य नहीं होगा।"

धारा ७ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा ७ में उपधारा (१—क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

"(१—ख) यदि किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा (१) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप, उपधारा (१—क) के अधीन कर का जमा किया जाना स्थगित हो जाय तो विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के

लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक बाद के दिनांक से प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये ऐसे निक्षेप पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

(१–ग) यदि किसी व्यापारी को अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी म कोई लोप या अन्य त्रुटि मालूम हो तो वह अगली विवरणी प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय के पूर्व किसी भी समय पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देय कर की धनराशि से अधिक दिखाई गई हो तो व्यापारी देय कर के अन्तर की धनराशि और उपधारा (१–ख) के अधीन देय ब्याज को भी अलग से जमा करेगा मानो मूल विवरणी प्रस्तुत करने का समय व्यापारी के आवेदन-पत्र पर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक तक बढ़ा दिया गया हो। किन्तु यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देय कर की धनराशि से कम दिखाई गई हो तो व्यापारी देय कर से अधिक धनराशि को अनुवर्ती अवधि के लिये देय कर के प्रति समायोजित कर सकता है।"

धारा ७–घ और ७–ङ का संशोधन

१३––मूल अधिनियम की धारा ७–घ और ७–ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्––

कर दायित्व के सम्बन्ध में राजी नामा

"७–घ––इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए, बिक्री-कर कमिश्नर ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो किसी व्यापारी द्वारा ऐसे माल या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिये जिस पर करार हो जाय, देय हो, एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर की दर में किसी परिवर्तन का जो ऐसे करार के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि करार की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, करार पाई गई एक मुश्त धनराशि में आनुपातिक परिवर्तन हो जायगा।"

धारा ८ का संशोधन

१४––मूल अधिनियम की धारा ८ में, ––

(१) वर्तमान उपधारा (१) तथा (१–क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात् :––

"(१) स्वीकृत रूप में देय कर निर्धारित समय के भीतर या इकतीस अगस्त, १९७५ तक जो भी पश्चात्वर्ती हो, जमा किया जायगा, ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर, निर्धारित अन्तिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से या जून, १९७५ के प्रथम दिन से, जो भी पश्चात्-वर्ती हो, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा और दिया जायगा, और धारा ७ की कोई बात ऐसे ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से न तो रोकेगी और न उसका प्रभाव उसे मुल्तवी करने का होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ स्वीकृत रूप में देय कर का तात्पर्य उस कर से है जो इस अधिनियम के अधीन विक्रय–धन या, यथास्थिति, क्रय धन या दोनों पर, जैसा कि व्यापारी द्वारा रखे गए लेखे में दिखाया गया हो या जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी विवरण-पत्र या कार्यवाही में स्वीकृत किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो या, यदि कोई लेखा न रखा गया हो, तो व्यापारी के अनुमान के अनुसार, देय हो।

(१–क) इस धारा के अधीन निर्धारित कर, कर–निर्धारण और मांग की नोटिस में निर्दिष्ट रीति से तथा उसे तामील किए जाने के तीस दिन के भीतर जमा किया जायेगा।

(१–ख) यदि किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित, पुनः निर्धारित या बढ़ाया गया कर, यथास्थिति, कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के या बढ़ाए जाने के आदेश के दिनांक से तीन मास तक अदत्त रह जाय तो अदत्त धनराशि पर साधारण ब्याज देय हो जायगा और एतद्पश्चात् निर्दिष्ट रीति से दिया जायगा :—

(१) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि पर उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दर पर, और

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि से अधिक धनराशि पर, यदि कोई हो, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर पर :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) २६ मई, १९७५ के पूर्व निर्धारित कर के सम्बन्ध में इस उपधारा में, यथास्थिति, कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस के तामील किये जाने या आदेश के दिनांक से तीन मास की अवधि के स्थान पर "कर निर्धारण तथा मांग की नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के दिनांक से छः मास" रखा गया समझा जायगा ; और

(ख) यदि अपील, पुनरीक्षण या निर्देश पर, या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा कर की धनराशि में परिवर्तन कर दिया जाय तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की धनराशि की पुनः गणना की जायेगी।

(१–ग) उपधारा (१) और (२) के अधीन देय ब्याज की धनराशि; किसी ऐसे अन्य दायित्व या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो व्यापारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उठानी पड़े और उसे कर की धनराशि में जोड़ दिया जायगा और सभी प्रयोजनों के लिये कर का भाग समझा जायगा।" ;

(२) उपधारा (२) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक " उपधारा (१) या (१–ख)" रख दिये जायं ;

(३) उपधारा (९) में खण्ड (ग) में, शब्द "कोई भिन्नता न हो" के स्थान पर शब्द "कोई वृद्धि (कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि के अभिदेश में) न हो" रख दिये जायं।

धारा ८–क का संशोधन

१५––मूल अधिनियम की धारा ८–क में,––

(क) उपधारा (१) में, जहां कहीं भी अंक "१२,०००" आये हों, उनके स्थान पर अंक "२५,०००" रख दिये जायं और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायें ;

(ख) उपधारा (१–क) के उपखण्ड (घ) में, शब्द तथा अंक "धारा १४" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा १४ या, यथास्थिति, धारा १५–क" रख दिये जायें और मार्च, १९७३ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायें।

धारा ८–ख का संशोधन

१६––मूल अधिनियम की धारा ८–ख में,––

(क) उपधारा (१) में, शब्द "बारह हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रुपये" रख दिये जायें और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं ;

(ख) उपधारा(५) के अन्त में, शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "भले ही धारा ३ की उपधारा (२), धारा ३–घ की उपधारा (३–क) या धारा १८ में न्यूनतम विक्रय धन के सम्बन्ध में कोई बात दी हो" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

धारा ९ का संशोधन

१७––मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (३) में शब्द "अपीलकर्ता" के स्थान पर शब्द "सुसंगत अभिलेखों को मांगने और उनका परीक्षण करनेके पश्चात्, और अपीलकर्ता" रख दिये जायें।

धारा १० का संशोधन

१८––मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (६–क) में, शब्द "कर निर्धारण और मांग की नोटिस तामील किये जाने अथवा शुल्क लगाये जाने या अर्थदण्ड आरोपित किये जाने, जैसी भी दशा हो, का आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन" के स्थान पर शब्द "उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण विचाराधीन हो, तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन" रख दिये जायें।

धारा ११ का संशोधन

१९––मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (८) में, शब्द तथा अंक "ब्याज सहित, जिसकी दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसा भी हाई कोर्ट दिलाये," के स्थान पर शब्द, "इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार" रख दिये जायं और मार्च, १९७३ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं।

धारा १२–ख का बढ़ाया जाना

२०––मूल अधिनियम की धारा १२–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

"१२–ख––कर निर्धारिती अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष मौखिक या दस्तावेज के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार न होगा सिवाय उस दशा के जब पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे कर निर्धारक अधिकारी ने गलती से ग्रहण करने से इन्कार किया हो अथवा जो सम्यक् तत्परता बरतने के बावजूद भी उसकी

अपील या पुनरीक्षण में अतिरिक्त साक्ष्य

जानकारी में नहीं था अथवा उसके द्वारा कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और प्रत्येक ऐसे मामले में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित किये जाने पर विक्रीकर कमिश्नर को चुनौती देने या खंडन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा।"

धारा १३ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

(१) उपधारा (४) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (२) में शब्द तथा अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा १०२, १०३, और १६५" तथा पार्श्व अभिदेश "१८९८ का अधिनियम ५" के स्थान पर क्रमशः शब्द तथा अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १०० तथा १६५" तथा पार्श्व अभिदेश "१९७४ का अधिनियम २" रख दिये जायं और अप्रैल, १९७४ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायं;

(२) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के आदेशों के अधीन रुकी रहें, सम्मिलित नहीं की जायंगी।"

धारा १३—क का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा १३—क में,—

(१) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्,—

"(१—क) यदि राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाड़ी, यान—पात्र, भवन या स्थान में पाया गया माल किसी वास्तविक व्यापारी का नहीं है अथवा यह सन्देह हो कि ऐसे माल को किसी व्यपारी ने अपने व्यापार के दौरान रखे गये लेखों, रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में उचित रूप से लेखबद्ध नहीं किया है तो उसे ऐसे माल को अभिग्रहण करने की शक्ति होगी, तथा ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में इस धारा के शेष उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

(२) उपधारा (३) में, शब्द "ऐसे कर की धनराशि के, जो उस दशा में देय होती जब ऐसे अभिग्रहण के दिनांक को राज्य में माल की बिक्री की गई होती तीन गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का" के स्थान पर शब्द "अधिनियम के अधीन लगाये जा सकने वाले अर्थ दण्ड की अधिकतम धनराशि से अनधिक धनराशि का" रख दिये जायें।

धारा १५—क का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा १५—क की उपधारा (१) में,

(१) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात्—

"(ण) धारा २८—क या धारा २८—ग के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या आयात करने का प्रयास करता है या आयात करने या आयात को प्रयास करने के लिए दुष्प्रेरित करता है; या

(ण–१) धारा २८–क या धारा २८–ग के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का परिवहन करता है या परिवहन करने का प्रयास करता है या परिवहन करने या परिवहन करने का प्रयास करने के लिये दुष्प्रेरित करता है ; या"

(२) खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(थथ) इस अधिनियम के अधीन कोई बिक्री–कर या क्रय–कर वैध रूप से देय न होने पर या वैध रूप से देयकर–की धनराशि से अधिक कोई धनराशि, बिक्री–कर या क्रय कर के रूप में, वसूल करता है, या" रख दिये जायं;

(३) खण्ड (२) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक, "खण्ड (ज), खण्ड (ठ), खण्ड (ड) या खण्ड (ण)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक " खण्ड (ठ) या खण्ड (ड)" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ;

(४) खण्ड (६) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक, "खण्ड (ञ)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खण्ड (ज), या खण्ड (ञ)" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ; और

(५) खण्ड (७) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात् –

"(८) खण्ड (थथ) में अभिदिष्ट दशा में, ऐसी धनराशि जो वसूल किये गये कर की धनराशि या, यथास्थिति, अधिक वसूल की गई धनराशि से कम न हो किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो ;

(९) खण्ड (ण) या (ण-१) में अभिदिष्ट दशा में, यदि माल राज्य के भीतर ऐसे उल्लघंन के दिनांक पर बेचा गया होता, तो कर की जो धनराशि देय होती उसके तीन-गुने से अनधिक धनराशि।"

(६) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "कर निर्धारक अधिकारी" के अन्तर्गत किसी जांच चौकी का प्रभारी अधिकारी या धारा १३ या धारा १३-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।"

धारा १८ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा १८ में, जहां कहीं भी अंक "१२,०००" आये हों, उनके स्थान पर अंक "२५,०००" रख दिये जायें और अप्रैल, १९७५ के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायें।

धारा २९ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(क) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमत: इस अधिनियम के अधीन या सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट,

१९५६ का ऐक्ट, ७४

१९५६ के अधीन व्यापारी द्वारा-देय अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हों, वापस की जायगी।"

(ख) उपधारा (२) में —

(१) शब्द "आदेश के दिनांक" के स्थान पर शब्द "आदेश के दिनांक, यदि वह कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दिया जाय और ऐसे अधिकारी द्वारा आदेश की प्राप्ति के दिनांक, यदि वह किसी अन्य समक्ष अधिकारी या न्यायालय द्वारा दिया जाय" रख दिये जाएं;

(२) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि २६ मई, १९७५ के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में ब्याज की गणना करने के लिये यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानों शब्द "छः महीने" के स्थान पर शब्द "तीन महीने" रखे गये हों तथा शब्द "छः प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रखे गये हों।;"

(३) वर्तमान स्पष्टीकरण, जिसे स्पष्टीकरण—१ संख्याकित किया जायगा, के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण २—पद "वापस" के अन्तर्गत उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन समायोजन भी है";

(ग) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात् :

"(३) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी यथास्थिति, ऐसे विक्रय-धन या क्रय-धन या दोनों पर जिसे व्यापारी ने या तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र में या अन्यथा किसी कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किया हो, इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या शुल्क को वासप करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, —

(१) क्रम-संख्या ३४ तथा ९७ के सामने स्तम्भ ३ की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और दिसम्बर, १९७४ के बीसवें दिन से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"वन विभाग उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा वन के निजी स्वामी या आयातकर्ता द्वारा बिक्री।"—

(२) क्रम-संख्या ९६ के सामने स्तम्भ २ तथा ३ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात् :—

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ९६ | खपरैल (अर्देन रूफिग टाइल्स) से भिन्न सभी प्रकार की टाइल्स। | नि० अथवा आ० |

२७—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ ई० (जिसे आगे इस अधिनियम में उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम २ में,— नियम २ का संशोधन

(१) खण्ड (घ–१) में, शब्द "भारत के अन्य किसी राज्य से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें,—

(२) खण्ड (ज) में, "शब्द "ऐसे सर्किल के लिये बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा नियुक्त किया गया सहायक बिक्री-कर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "ऐसी सर्किल के लिये बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा तैनात किया गया बिक्री-कर अधिकारी या सहायक बिक्री-कर अधिकारी" रख दिये जायें और सितम्बर, १९७४ के तीसरे दिन से रखे गये समझे जायें।

२८—उक्त नियमावली के नियम ८५ के उप नियम (१) में, शब्द "दूसरे राज्यों से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें। नियम ८५ का संशोधन

२९—उक्त नियमावली के नियम ८६ के उपनियम (१) में शब्द "इस राज्य में दूसरे राज्य से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें। नियम ८६ का संशोधन

३०—उक्त नियमावली के नियम ८७-क के उपनियम (१) में, शब्द "किसी अन्य राज्य से" के स्थान पर शब्द "राज्य के बाहर किसी स्थान से" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें। नियम ८७-क का संशोधन

३१—(१) मूल अधिनियम की धारा ३-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी विज्ञप्तियों में,— कतिपय विज्ञप्तियों का संशोधन

(क) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ६५५३/दस—९००(३१)–६५, दिनांक १ सितम्बर, १९६५ में, शब्द "मनुष्य अथवा पशु-शक्ति द्वारा चालित कृषि उपकरणों से भिन्न उपकरण";

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०–३६०९/दस—९००(२१)–६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ की अनुसूची में क्रम-संख्या १ में, शब्द "मनुष्य अथवा पशुश्रम से चालित कृषि उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण"; और

(ग) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०–२-३३२/दस—१०१२–१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ तथा संख्या एस०टी०–२–६२०३/दस—१०१२–१९७२, दिनांक २९ सितम्बर, १९७२, में प्रत्येक की अनुसूची में क्रम-संख्या १ में शब्द "मनुष्य अथवा पशुश्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण";

के स्थान पर शब्द "मनुष्य अथवा पशुश्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण तथा जल पम्प" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

(२) मूल अधिनियम की धारा ३-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी विज्ञप्तियों में —

(क) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०–७०९८/दस—१०१२–६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५ में शब्द "मशीनों और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भागों"; और

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०–२–३३२/दस––१०१२–१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ तथा संख्या एस०टी०–२–६६२७/दस––१०१२–१९७२, दिनांक १ दिसम्बर, १९७३ में, प्रत्येक की अनुसूची में क्रम संख्या ५२ में शब्द "मशीनें और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग", के स्थान पर शब्द "मशीनें, जिसके अन्तर्गत वाटर पम्प भी हैं, और मशीनों के अतिरिक्त भाग" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

(३) मूल अधिनियम की धारा ४-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी ––

(क) निम्नांकित तालिका 'क' में उल्लिखित (समय-समय पर यथासंशोधित) विज्ञप्तियों में शब्द "के सम्बन्ध में विक्रय धन" के स्थान पर शब्द "के सम्बन्ध में निर्माण करने वाले व्यापारी द्वारा राज्य के भीतर की गयी बिक्री के सम्बन्ध में विक्रय-धन"; और

(ख) निम्नांकित तालिका 'ख' में उल्लिखित (समय-समय पर यथासंशोधित) विज्ञप्तियों में शब्द "माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन" के स्थान पर शब्द "राज्य के भीतर की गयी माल की बिक्री के सम्बन्ध में विक्रय-धन",

रख दिय जाएं और सदैव से रखे गये समझे जायें।

## तालिका "क"

१––एस० टी०-६३८७/दस–९०२(१२)–६२, दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२
२––एस० टी०-२८६०/दस–९०२(३)-१९६०, दिनांक १९ जून, १९६५
३––एस० टी०-३८९१/दस–९०२(५)-१९६८, दिनांक ८ अक्तूबर, १९६८
४––एस० टी०-१८६/दस–९०० (६७)-६८, दिनांक १३ जनवरी, १९६९
५––एस० टी०-१८७/दस–९०२(६५)-६८, दिनांक १३ जनवरी, १९६९
६––एस० टी०-१८८/दस–९०२(९)–६८, दिनांक १३ जनवरी, १९६९
७––एस० टी०-२४०९/दस–९०२(१५)–६८, दिनांक २८ मई, १९६९
८––एस० टी०-१०२२५/दस–, दिनांक ९ जनवरी, १९७०,
९––एस० टी०-९३७५/दस–१००८(६४)-६४, दिनांक ३१ माच, १९७०
१०––एस० टी०-३५२०/दस–९०२(८)–७०, दिनांक २८ मई, १९७०
११––एस० टी०-६६७२/दस–९०२(८-ए)–७०, दिनांक २२ सितम्बर, १९७०
१२––एस० टी०-१८८७/दस–९०२(८-सी) ७०, दिनांक १९ मार्च, १९७१
१३––एस० टी०-३३६४/दस–९०२(८)-७१, दिनांक १७ मई, १९७१
१४––एस० टी०-३८१६/दस–९०२(८-ए)–७१, दिनांक २८ जून, १९७१
१५––एस० टी०-४९५८/दस–९०२(१३५)–६९, दिनांक २ जुलाई, १९७१
१६––एस० टी०-३५८१/दस–९०२(८-ए)–७१, दिनांक २७ सितम्बर, १९७१
१७––एस० टी०-२७८९/दस–९०२(८-ए)–७१, दिनांक २७ नवम्बर, १९७१
१८––एस० टी०-दो-३२०/दस–९०२(८४)–६९, दिनांक २९ नवम्बर, १९७१

## तालिका "ख"

१––एस०टी०-३३६६/दस–९०२(८)–७१, दिनांक १७ मई, १९७१
२––एस० टी०-३३६७/दस–९०२(८)–७१, दिनांक १७ मई, १९७१

(४) मूल अधिनियम की धारा ८-ख के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२२६२/दस–९०२(३)–५०, दिनांक १२ जून, १९६९ से संलग्न अनुसूची में क्रम-संख्या १ की प्रविष्टि में, शब्द "रा फिल्टर्ड आयल, रिफाइन्ड आयल और" निकाल दिये जायें और सदैव से निकाले गये समझे जायें।

(५) मूल अधिनियम की धारा ३-क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२–३३२/दस–१०१२–१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ और संख्या एस० टी०-दो-१२३३/दस–१०(१)–१९७४, दिनांक १४ अप्रैल, १९७४ की अनुसूची में पूर्ववर्ती विज्ञप्ति में क्रम-संख्या ३४ तथा ९७ के सामने तथा पश्चात्वर्ती विज्ञप्ति में क्रम-संख्या ९७ के सामने स्तम्भ ३ में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय और नवम्बर, १९७४ के बीसवें दिन से रखी गयी समझी जाय, अर्थात् :—

"वन विभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा वन के निजी स्वामी या आयातकर्ता द्वारा बिक्री"

(६) मूल अधिनियम की धारा ४-ख के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-२–३८६७/दस–९०२(७०)–७२, दिनांक ११ जून, १९७४ में —

(क) स्पष्टीकरण (२) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(२) उत्पादन शुरू होने का दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है जब विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग के लिये अपेक्षित कोई कच्चा माल प्रथम बार नई इकाई द्वारा क्रय किया जाय।" ; और

(ख) परिशिष्ट १ में, क्रम-संख्या २९ की प्रविष्टि में, शब्द "छाना गया कच्चा तेल, विशुद्ध तेल तथा" निकाल दिये जायें और सदैव से निकाल दिये गये समझ जाय।

(७) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२–४९४९/दस–१०(२)–७४, दिनांक ३० मई, १९७५ की अनुसूची में क्रम संख्या १ के सामने स्तम्भ २ की प्रविष्टि में, शब्द "तथा मिश्रित धातु" के स्थान पर शब्द "तथा मिश्रित धातु जिसके अन्तर्गत पीतल के बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाली, चादरें और घेरे (सर्किल) और स्क्रेप जिसमें केवल तांबा, टिन, जस्ता या निकिल धातुओं में से कोई हो, भी सम्मिलित है," रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

नियम तथा विज्ञप्तियों का प्रभावी होना जब तक सरकार द्वारा संशोधित न किये जायं।

३२—धारा २६, २७, २८, २९ तथा ३० में अभिदिष्ट नियम तथा विज्ञप्तियां, जैसा कि उन्हें उक्त धाराओं द्वारा परिष्कृत किया गया, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि उन्हें संयुक्त प्रान्त साधारण खन्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २१ के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा संशोधित या विखण्डित न किया जाय

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या १, १९०४

**वैधीकरण तथा संक्रमण-कालीन उपबन्ध**

३३—(१) किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया, कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के या उपर्युक्त नियमो या विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अनुरूप हो, इस प्रकार विधिमान्य तथा विधिपूर्ण समझी जायेंगी और सदैव से विधि मान्य तथा विधिपूर्ण होंगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(२) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, किसी अधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन कोई कर निर्धारित किया है, लगाया है, या उसकी वसूली की है या ऐसे कर के निर्धारण, उसके लगाये जाने या उसकी वसूली में परिष्कार करने, रद्द करने या अभिखण्डित करने (चाहे पूर्णत: या अंशत:) का कोई आदेश दिया है और इस अधिनियम के प्रारम्भ के परिणामस्वरूप ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इस अधिनियम द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय तो कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर २६ मई, १९७५ से चार मास के भीतर कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये ऐसे अधिकारी या न्यायालय को आवेदन-पत्र दे सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है, और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या पुनरीक्षण करने का ऐसा आदेश दे सकता है जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो।

**निरसन तथा अपवाद**

३४—(१) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ०प्र० अध्यादेश संख्या १२, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य, समझा जायेगा मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

## उद्देश्य और कारण

विधान मंडल के गत सत्र में राज्य सरकार ने व्यापारियों को बिक्री-कर से सम्बन्धित मामलों में कुछ छूट तथा सुविधायें देने की घोषणा की थी। इन छूटों तथा सुविधाओं के अन्तर्गत, विक्रय धन की न्यूनतम सीमा को १२,००० रुपये से बढ़ाकर २५,००० रुपये करना, बहु-सूत्री कर प्रणाली के स्थान पर एक सूत्री-कर प्रणाली रखना तथा छोटे व्यापारियों को कई अन्य लाभ दिया जाना है। उक्त घोषणा को विधिक रूप देने के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में संशोधन करना आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय के कुछ निर्णयों के अधिनियम के उपबन्धों की कुछ और कमियां मालूम हुयीं और उनको दूर करना आवश्यक समझा गया। मामूली दोषों को दूर करने के उद्देश्य से कई अन्य परिवर्तन करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया गया है।

चूंकि विधान मण्डल सत्र में नहीं था इसलिये उक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था। उक्त संशोधनों के पश्चात् भी कुछ अन्य संशोधन राजस्व के हित में अथवा व्यापार को सुविधा देने की दृष्टि से, आवश्यक प्रतीत हुए हैं। ऐसे संशोधनों का समावेश भी प्रस्तावित विधेयक में कर दिया गया है।

तदनुसार उक्त अध्यादेश को कतिपय परिष्कारों के साथ प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मन्त्री।

पी०एस०यू०पी०—एल० २१५ वि० सभा (६६५)—१९७५—८४५।